

प्रशिक्षण मेनुअल

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से
जुड़े गैर सरकारी संगठनों के जमीनी
कार्यकर्ताओं के उपयोग हेतु



मेनुअल के बारे में

जल जीवन मिशन के विभिन्न घटकों पर केन्द्रित यह मेनुअल, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं संवरक्ता समिति, क्रिपालयन-सहायता एजेंसियों के कार्यकर्ताओं और अन्य सामूदायिक हितधारकों के प्रशिक्षण हेतु उपयोग किया गया है। इस जीवन मिशन से जुड़े सभी महाजनपुर्ण विषयों पर जानकारी प्रदान करने के लिए मेनुअल को विषय वार अलग-अलग सभों में बाटा गया है।

आमतौर पर देखने में आता है कि फौलड स्लाइपर पर जब पूरे दिन या लगातार दो-चार दिन के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं तो समय अभाव और अन्य व्यक्तताओं के कारण प्रतिभागी पूरे समय या नियमित रूप से प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं रह पाते। प्रतिभागियों की सूचिधा और उनकी रुचि को बनाये रखने के लिए एक दिन में एक विषय पर 3-4 घण्टे का प्रशिक्षण आयोजित करना ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। इस बहु को ध्यान में रखते हुए मेनुअल को कुछ इस तरह डिजायन किया गया है कि हर एक सत्र अपने आप में पूर्ण हो ताकि दूकड़े-दूकड़े में अलग-अलग विषयों पर प्रशिक्षण देने के लिए भी मेनुअल का उपयोग किया जा सके। इसके अलावा जल जीवन मिशन पर कार्य करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए चार दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भी इस मेनुअल का उपयोग किया जा सकता है।

हर एक सत्र के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है, जेहतर होना कि प्रशिक्षक उस समय सीमा में सभी को पूर्ण करने का प्रयास करें। जलनरत के अनुसार प्रशिक्षण सभों को उप सभों में बाटा गया है और सभों को सहभागी तथा सहिकर बनाने के लिए व्हाइयो फिल्म, रोल प्ले, केस सेटी, स्वाल-बदल, समूह अभ्यास गतिविधियां शामिल की गई हैं। मेनुअल की विषय-वस्तु को सरल और सहज रखने की सर्वोत्तम प्रार्थनिकता ही गई है।

मेनुअल में जल जीवन मिशन के विभिन्न आपामो वैसे - उद्याप, लक्ष्य, नत जल योजना के लिए ग्राम कार्य योजना निर्माण, क्रिपालयन व निरसनी, नत जल योजना के संबंधित व रखरखाव में विभिन्न हितधारकों की भूमिका के महत्व के साथ-साथ और गुणवत्ता पूर्ण जल आपूर्ति हेतु मांग और आपूर्ति के अंतर के जाकालन हेतु जल अपट का निर्माण, मौजूदा जल स्रोतों के प्रबंधन और बर्बाद जल के संरक्षण व संग्रहण पर भी जोर दिया गया है। आशा है कि जमीनी सत्र पर गंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम जल एवं संवरक्ता समिति के लोदस्तों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करने में यह मेनुअल स्वैच्छिक सांगठनों के कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षक कार्यक्रम से पूर्णी क्रिपालयन सहायता एजेंसी और अन्य जमीनी सत्र के कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी साबित होगा।

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से जुड़े गैर सरकारी संगठनों के जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी)

प्रतिभागी : जेजेएम में आईएसए (क्रियान्वयन सहायता एजेंसी) या क्षमता निर्माण संगठनों/एजेंसी के रूप में
काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के फोर्म स्टाफ (अधिकतम 25)

प्रमुख उद्देश्य

1. जेजेएम के उन महत्वपूर्ण पहलों पर जानकारी प्रदान करना जो समृद्धि, ग्राम पंचायतों और जमीनी
संगठनों/संस्थाओं/समितियों के लिए प्रासंगिक हैं।
2. सतत और सुरक्षित जल आपूर्ति के लिए जेजेएम में सामुदायिक भूमीदारी, विदेशीकरण भौतिकों के
महत्व पर धृष्टिकोण बनाना।
3. जेजेएम अंतर्गत योजना बनाने, कार्यान्वयन में सहायता और योजना की निपासनी के लिये कोशल
विज्ञानित करना।
4. सामुदायिक संगठनों/समितियों और समूहों के लिए बहाभागी प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों का प्रशिक्षकों
के ऊपर में कोशल विकास करना।

प्रशिक्षण वार्षिकाम

दिन/समय	विषय	विधि/प्रक्रिया	सिमान्क
पहला दिन			
10.00-11.30	परिचय, अपेक्षाएं और प्रशिक्षण का संदर्भ स्थापित करना तथा जमीनी नियम तैयार करना।	जोड़े में परिचय प्रिछुरे दो दमाकों में उनके साथी ने अपने गाँव/सेवा में पानी की स्थिति/उपलब्धता में क्या बदलाव देते हैं।	सभ की व्याख्या में नदियों कु-ओ, लालाहो, नलहूयो, हैतपयो में पानी की उपलब्धता, घटते जल स्तर से संबंधित बहुमान और भविष्य की दूनीतियों पर चर्चा करें।
11.30-12.00	भाष्य	जेजेएम पर काटरएट द्वारा लेयर फिल्म दिखारा।	जेजेएम पर महत्वपूर्ण जमकारी जैसे - उम्मा, प्रति छांकित पानी की मात्रा, कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका, लागत, आदि सदा कारने के लिए पीढ़ीटी, दर्द का उपायोग करें।
12.00-13.00	जेजेएम का हो ग्रम्य विभाग, अवसर और दूनीतियाँ	जेजेएम पर जानकारी प्रदान करने के बाद चुनी चर्चा करें।	जेजेएम पर महत्वपूर्ण जमकारी जैसे - उम्मा, प्रति छांकित पानी की मात्रा, कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका, लागत, आदि सदा कारने के लिए पीढ़ीटी, दर्द का उपायोग करें।


13.00-14.00	भोजन	
14.00-15.30	नल बल योजना में विभिन्न हितभागी की भागीदारी का महत्व	<p>कंसु स्टडी (पहले से विकासित) पढ़कर सुनाये और प्रतिभागियों को 3 समूहों में बाटे -</p> <p>समूह -1 : नल बल योजना में हितभागी के से द्रव्यमालित हो रहे हैं।</p> <p>समूह-2 : लोगों के जुड़ाव से संबंधित यथा काउन्टराइया देख रहे हैं, अगर जुड़ाव होता तो क्या होता?</p> <p>समूह-3 : अगर फिर से नई योजना लगानी हो तो उसमें सामुदायिक भागीदारी का बहुत आवश्यक है।</p>
15.30-16.00	चाय	
16.00-17.30	वीएपी क्या है? वीएपी के प्रमुख चरण, जिन गांठों में वीएपी सीकृत हो गये हैं वहाँ वीएपी की पुनरीक्षा केसे करें? वीएपी बनाने की प्रक्रिया को जैसे सरल बनाया जाए?	<p>अभ्यास - वीएपी को अधिक सहभागी केसे बनाये - ट्रांजेक्ट वॉक, सामाजिक और सांसाधन सामन्दिनी और गारीब बस्तियों के विशेषण का जरूरी।</p> <p>वीएपी में किन किन बातों का ज्ञान रखा जाना चाहिए? वीएपी में क्या क्या होता है?</p> <ul style="list-style-type: none"> आदर्श वीएपी निर्माण के बदलों को साझा करें। निम्न स्थितियों में ग्राम पंचायत और जल समिति की क्या भूमिका हो सकती है इस पर चर्चा करें - किन गांठों में पहले से वीएपी सीकृत है, वहाँ वीएपी की पुनरीक्षा में जिन बातों का ज्ञान रहें। जिन गांठों में नल बल योजना का निर्माण पूर्ण हो सकता है वहाँ क्या देखने की आवश्यकता है। जिन गांठों में अभी वीएपी नहीं बना ही रहा क्या उसने को आदर्शकाला है।
दूसरा दिन	गृह कार्य	वीएपी/जीपीएम पर उपलब्ध विषय देशभरे के लिये काहे
09.30-10.00	पिछला दिन के मार्गों को प्रमुख सीखो का	प्रत्येक प्रतिभागी से पिछले दिन के प्रश्नोत्तर को कोई एक प्रमुख

	दैहिकता/चर्चा	सीढ़ी साझा करने के लिए कहें। इसके बाद कोई एक बात जो ठीक से समझ में ना आयी हो। बताने के लिए कहें।	
10.00-11.30	नल जल पोषना की डिजाइन के विभिन्न अवयवों को समझना - औबरहेड ट्रैक राइजिंग मेन, फ्रिटरण लाइन / व्यवस्था, घरेलू कनेक्शन आदि	नल जल पोषना दी डिजाइन के विभिन्न अवयवों और उनके महत्व को साझा करें, दी मार्द जानकारी पर साधारण-ज्ञान करें। प्रतिभागियों को 4-5 समूहों में बोटकार, नल जल पोषना के विभिन्न अवयवों के विप्र द्वारा उन्हें तकनीकी रूप से क्रम वार लगाने के लिए कहें।	पीपीटी/चार्ट के माध्यम से नल जल पोषना के विभिन्न अवयवों की तकनीकी जानकारी और दीपी भार में दिये जाने का सिक्षण की जानकारी साझा कर, गुरुती बद्दों के ऊपर साथ समेवित करें।
11.30-12.00	चाय		
12.00-13.30	जल सुरक्षा पोषना के से बनाए? मुख्य विशेषताएं और सरणि।	जल सुरक्षा का मानसिक बताए। पह किसके लिए पानी किसके लिये जलनी - मनुष्यों और पशुओं के पीने के लिए या खेती में मिलाई के लिए। पानी की मांग और भूजल व सतही जल की उपलब्धता का आकरण करने के लिए कौन से जलों साझा करें। वर्षा जल की संग्रहण/संचयन के लिए विभिन्न संरचनाओं के निर्माण/मरम्मत की पोषना कैसे बनाए?	जल सुरक्षा पोषना (मांग/आपूर्ति वा आकरण) बनाने के अभ्यास हेतु प्रतिभागियों को 4-5 समूहों में बोटे और प्रत्येक समूह को कैसे स्टडी के अध्याद पर सरण वार जल सुरक्षा पोषना बनाकर प्रस्तुत करने के लिए कहें। किसी गंद वी आदर्श जल सुरक्षा पोषना को पीपीटी/चार्ट के माध्यम से साझा करें।
13.30-14.30	भोजन		
14.30-17.30	जेलोएम के अंतर्गत नल जल की पोषना बनाने, कार्यान्वयन करने और संचालन एवं रखरखाव की विधानी में विभिन्न संस्थाओं की भुमिका	जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण संस्थानों का ध्यानी विभाग करें - ग्राम, ग्राम पंचायत और जलिक के स्तर पर। (समूह कार्य की प्रस्तुति के बाद चाय देका) प्रतिभागियों को 5-6 समूहों में बोटे और एक-एक संस्था का नाम देकर उसकी भुमिका और	समूह-1 : ग्राम पंचायत की भुमिका समूह-2 : ग्राम सभा की भुमिका समूह-3 : जल समिति की भुमिका समूह-4 : एस.एस.जी.जी.से संगठन की भुमिका समूह-5 : विधानसभा संलग्न एजेंसी की भुमिका

		<p>की पहचान कर प्रस्तुत करने के लिए कहें।</p> <p>समृद्ध अभ्यास के प्रस्तुतिकरण के बाद, सदाचित स्वप्न को भूमिका के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें।</p>	<p>समृद्ध-6 : पीएचईटी/ठेकेडर की भूमिका कोई अन्य महत्वपूर्ण समाजन/स्वप्न जिसे चिह्नित किया जाए।</p>
	गृह कार्य	<p>जिन विषयों पर चर्चा की गई उनसे संबंधित विषय पढ़ने और जल सुरक्षा योजना पर फ़िल्म देखने के लिए कहें।</p>	
तीसरा दिन			
09.30-10.30	पिछले दिन का दोहराय/ दिए गये गृह कार्य पर चर्चा - यदि कोई समझा/सवाल हो तो उसका समाधान	<p>प्रत्येक प्रतिभागी से पिछले दिन के प्रशिक्षण की कोई एक प्रमुख चीज़ साझा करने के लिए कहें।</p> <p>इसके बाद, कोई एक चाल जो ठीक से समझ में ना आयी हो, बताने के लिए कहें।</p>	
10.30-13.00	किसकी निगरानी करें और कैसे करें। ए. पानी की गृणवत्ता वी.योजना निर्माण सी. सामुदायिक योगदान	<p>प्रतिभागियों से पानी की निर्माण अभ्युदियों के बारे में पूछें और उन्हें सुनीचत्व करें। इन अभ्युदियों के कारण पूछें।</p> <p>पानी में मौजूद विभिन्न अभ्युदियों के उपचार के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। जल परीक्षण और उपचार के मौजूदा तंत्र, नमूनों से लेकर परीक्षण और परिणामों को साझा करने तक की प्रक्रिया के बारे में बतायें।</p> <p>(चाप ब्रेक)</p> <p>प्रतिभागियों को 4 समूहों में बाटे जाएं चारों समूहों को अलग-अलग विषयों पर निगरानी के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहें। समृद्ध अभ्यास का प्रस्तुतिकरण कराकर, पीटीटी/चार्ट के माध्यम से निगरानी के प्रमुख क्षेत्रों की जानकारी देकर सब समीक्षित</p>	<p>समृद्ध-1 : नूबयेत से राहिक्षण में पाइपलाइन, सम्पादन/ओवरहैड टेक तक की निगरानी।</p> <p>समृद्ध-2 : सम्प डेटा/ओवरहैड टेक से मोहरतों से विस्तारी गई पाइपलाइन/वायर ब्रेक वर्षे तक निगरानी।</p> <p>समृद्ध-3 : गर्भ में नस कोणक्षन अतिम ऊपर तक देखने के बाहर जानकारी भेजें घरों में बस</p>

		करें।	भाइंडरण और डप्पिंग की निगरानी। समूह-4 : जल वितरण व्यवस्था और सामुदायिक अंदशालन तथा जल कर की व्यवस्था की निगरानी।
13.00-14.00	भोजन		
14.00-16.00	सहभागी लड़ीके से नल जल पोजना का संचालन और रखरखाव के से करें।	रखरखाव और संचालन में कठोर क्षया बातें प्राप्तिकर हैं, बताएं। नीचे दिये गए एजेन्टों के बिंदुओं पर ग्राम सभा की बैठक का रोल यह आवश्यकित कराये – का) रखरखाव और संचालन के प्रमुख क्षेत्रों का निर्धारण, ख) विभिन्न संस्थानों की जिम्मेदारियाँ, ग) जल कर का निर्धारण और संकलन तंत्र, घ) जल सुरक्षा संसाधी कार्य (रोल प्ले के बाद चाय ब्रेक) प्रमुख सीखों/मुद्रों का समेकन। पीपीटी/चाट के माध्यम से रखरखाव और संचालन की प्रमुख बातों को साझा करें।	रोल प्ले हेतु प्रतिभागियों समूह में निम्न भूमिकाएं विद्युत करें – ए. विभिन्न समितियों के अधिकारी/सदस्य बी. एच / सराफ़िद सी. विशित पुष्टा (पूरुष/सहिता) दी. प्रैरबहैंडी इन्डीनियर ई. रोजगार सङ्गायक/साहिव कोई अन्य महत्वपूर्ण हितधारक/ ग्राम सभा सदस्य
16.00-18.00	सहभागी प्रशिक्षण	सहभागी प्रशिक्षण क्या है? उपर्युक्तों के सीखने के सिद्धांत। प्रमुख सहभागी विधियाँ। प्रशिक्षण की लायरेक्ट और शीखने का चरण।	प्रियुले 3 दिनों के प्रशिक्षण अनुभवों को साझा करें। प्रतिभागियों को अपने पूर्व अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित करें। समूह 1: दीएपी निर्मल यह ग्राम पंचायत ध्यायनीयों को प्रशिक्षण देना समूह 2: ग्राम जल संसाधन समिति सदस्यों को उनकी भविष्यतीय/विभागीय प्रशिक्षण देना समूह 3: जल सुरक्षा संगठन यह
	पुल्कार्ट स्थ. प्रशिक्षण हेतु देखिया की लापरेस्ता तैयार कर सब संचालन के अभ्यास के लिए प्रतिभागियों को 4 समूहों में बांटे	सहायकारी प्रतिभागियों को समूह में 45 मिनट की ट्रैनिंग डिजाइन तैयार करने और सब संचालन हेतु मार्गदर्शन करें। बीडब्लियुक के लिए 15 मिनट अतिरिक्त रखें। प्रश्नोंका सम्बन्ध के प्रशिक्षकों से पीपीटी/चाट तैयार करने की कहें। उन्होंने कुछ उंगी-उंगी	

		सहभागी विधेयों को उपयोग करने के लिए भी कहु सकते हैं।	पंचायत प्रतिनिधियों/ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना समूह 4 जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव पर यथ अधिकारी / स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण देना
चीथा दिन			
09.30-10.00	पिछले दिन की प्रमुख सीखों का दोहराव और आज आपूर्ति किये जाने वाले सबों के मानदण्ड निर्धारित करना	प्राचीक प्रतिभागी से पिछले दिन के प्रशिक्षण की कोई एक प्रमुख सीख साझा करने के लिए कहे। इसके बाद, कोई एक बात जो ठीक से समझ में ना आयी हो, बताने के लिए कहे।	
10.00-11.30	समूह 1: वीएपी गठन पर याम पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना समूह 2: याम जल यद्व स्वरक्षण समिति जटिलों को उनकी भूमिकाओं/ जिम्मेदारियों पर प्रशिक्षण देना		
11.30-11.45	बाप		
11.45-13.15	समूह 3: जल सुरक्षा योजना पर पंचायत प्रतिनिधियों/ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना समूह 4: जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव पर यथ अधिकारी / स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षण देना		
13.15-14.00	भोजन		
14.00-15.30	समूह अभ्यास की सीखों का समेकन। सज बंचालन को सहज करने के प्रमुख विद्वान् प्रशिक्षक की भूमिकाएं और कीवान		
15.30-15.45	बाप		
15.45-16.30	प्रशिक्षण की सीखों की परियोजना क्षेत्र के गांवों में लागू करने और साइरा करने वाले प्रशिक्षन।	संस्था/सोशिया समग्रन वार टीम में योजना तैयार कराना	योजना बनाने के लिए 15-20 मिनिट और प्रस्तुतिकारण के लिए 25-30 मिनट। फीडबैक और समेकन।
16.30-17.30	प्रशिक्षण का मूल्यांकन, आभार और समाप्ति		



प्रथम दिवस

प्रथम दिवस, सत्र-1 : परिचय, अपेक्षाएं और प्रशिक्षण का संदर्भ स्थापित करना

सत्र के उद्देश्य

- प्रतिभागियों का एक दूसरे से परिचय कराना।
- प्रतिभागियों के लेखों में चीत दो दशक में पानी की उपत्यका में आए बदलाव और चुनौतियों पर चर्चा के माध्यम से प्रशिक्षण का संदर्भ स्थापित करना।

समयावधि : 1 घण्टा 30 मिनट

आवश्यक सामग्री : चाई गोपर और मार्किन।

सत्र संचालन प्रक्रिया

- सभी प्रतिभागियों का फैज़ीयन मूल्यांकित करें।
- सभी प्रतिभागियों की बैठक व्यवस्था ठीक है या नहीं मूल्यांकित करें।
- आमकर महिला प्रतिभागियों से पूछें कि बैठक व्यवस्था में उन्हें किसी प्रकार छोड़ा जाना चाहिए तो नहीं है।
- सभी प्रतिभागियों का स्वागत करें तथा प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए अभाव व्यक्त करें।
- यदि सभव हो तो दीप जलाकर / प्रार्थना/सामाजिक बदलाव आवश्यक गीत के माध्यम प्रशिक्षण की शुरूआत करें।

परिचय हेतु प्रक्रिया

- परिचय हेतु सभी प्रतिभागियों को अपना-अपना जोहीदार दूरुने के लिये कहें। उन्हें ऐसा साधी दूरुने के लिये कहें जिसे वो पहले से जानते न हों।
- प्रतिभागियों को 15 मिनट का समय देकर अपना-अपना जोहीदार दूरुकर जाव में बैठने और एक-दूसरे के बारे में निम्न चिन्हों पर जानकारी लेने के लिए कहें -
 - साथी प्रतिभागी का नाम, पता, यदि पचास से या किसी समिति/समूह के प्रतिनिधि हो तो उसका नाम लिख दद।
 - वीते दो दशक यानी कि 20 साल में उनके गांव/बंदा में पानी की स्थिति में क्या बदलाव आया है? किस प्रकार छोड़नीयों का सामना करना पड़ रहा है?

३. कोई एक ऐसी बात जिसके बारे में प्रशिक्षण से सीखना चाहते हैं?
- जब प्रतिभागी एक दूसरे के बारे में उपरोक्त विद्युओं पर जानकारी प्राप्त करते हों तो उन्हें बारो-बारी से अपने जाहीदार के साथ परिचय देने के लिए आमंत्रित कर एक दूसरे का परिचय देने के लिए कहें। साथ ही कोई एक ऐसी बात जिसके बारे में वे प्रशिक्षण से सीखना चाहते हैं, बताने के लिए कहें। हर जोड़ी के परिचय के बाद तात्परी अवश्य बताएं।
 - प्रतिभागियों द्वारा पानी की स्थिति में बदलाव के बारे में गाव/क्षेत्र वार जो कमिया बतायी जायें, प्रशिक्षक उनको एक घार पर पर लिखते जाएं। साथ ही प्रशिक्षण से प्रतिभागियों की सीखने/बानने की इच्छाओं को दूसरे घार पर पर लिखते जाएं।
 - परिचय प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्रशिक्षक, प्रतिभागियों को प्रशिक्षण की विषय-वस्तु से अवगत कराएं तथा देखें कि प्रतिभागियों ने जिन विषयों पर जानने की इच्छा खालिर की है विषय-वस्तु में कठर हो रहे हैं या नहीं। यदि प्रशिक्षण के उद्देश्य से पूछा कोई महत्वपूर्ण विषय छूट रहा हो तो उसे शामिल करे और जो विषय प्रशिक्षण के उद्देश्य से अलग हो उनको बारे में प्रतिभागियों को स्पष्ट बतादें।

उत्तर समीक्षा

प्रतिभागियों द्वारा पानी की स्थिति में जो बदलाव बताये हैं उनको और अधिक गहराई से समझने के लिए निम्न विद्युओं पर चर्चा करें:-

- पानी की स्थिति में बदलाव या कमी के बीचे क्या कारण हैं?
- कहीं-कहीं बारिश ज्यादा होने लगी है, बाढ़ असम्भव होने लगी है?
- आपने पिछले कुछ दर्जे में बारिश या मौसम की पहुंच में क्या बदलाव पाया है?
- पानी की समस्या का राज के कामों/ आजीविका पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है?
- क्या इस समस्या से बाहर निकल पाना संभव है?
- प्रतिभागियों की अपने गाव/क्षेत्र की सत्य पटनाड़ी साझा करने के लिये प्रेरित करें।

प्रशिक्षण के लिए नियम बनाना

- प्रशिक्षण के ज्ञातस्थित संचालन और अनुसासन बनाए रखने के लिए प्रतिभागियों की सहभागिता और जामीनी से नियम तैयार करें। जैसे - मौसाहूद की स्थित अंैक या भूट रखना, सम्पर का ध्यान रखना, प्रशिक्षण कार्य की सच्छता बनाए रखना, एक समय में एक ही व्यक्ति द्वारा बात रखना जादि।
- प्रतिभागियों की सहभागिता से तैयार किए गए नियमों को प्रशिक्षण कक्ष में कहीं देखा जाना चाहिए जहाँ सभी की नजर पड़ती रहे।

प्रथम दिनस, सत्र-2 : जल जीवन मिशन - विशेषतायें, अवसर एवं चुनौतियाँ

सत्र के उद्देश्य

- जल संवर्धी चुनौतियों का सामना करने में जल जीवन मिशन एक अवसर की तरह है। इस बात पर समझ बढ़ाना।
- जल जीवन मिशन की प्रगति वालों से अवगत कराना।

समयाखण्ड : 1 घण्टा

आवश्यक सामग्री : छाई पेपर, मार्कर, जल जीवन मिशन पर काटवाएँ द्वारा तैयार फ़िल्म और सात संवर्धी पीपीटी।

सत्र संचालन प्रक्रिया

पिछले सत्र में हमने अपने गांव एवं आसपास के लोग में पानी की उपलब्धता और समस्याओं, चुनौतियों को समझने का प्रयास किया। इस सत्र को अधा-अधा भन्ने के दो उप सत्रों में बांटा गया है, जिनमें हम निम्न विषयों को समझेंगे -

उप सत्र -1 : जल संवर्धी चुनौतियाँ एवं अवसर

उप सत्र -2 : जल जीवन मिशन की मुख्य वाले

उप सत्र - 1 : जल संवर्धी चुनौतियाँ एवं अवसर

उप सत्र के संचालन की प्रक्रिया

आहुये हम विषय पर केन्द्रित मुख्यपूर गांव की फ़िल्म देखते हैं। सभी की फ़िल्म में बताएँ गई वालों की व्यापक पूर्वक देखना और समझना है कि फ़िल्म में क्या दिखाया गया है। बतायें कि फ़िल्म की समाप्ति पर इससे जुड़े कुछ प्रश्न आपसे पूछे जायेंगे।

फ़िल्म प्रदर्शन के बाद एक—एक वार प्रतिभागियों से निम्न प्रश्न करें—

- पानी की समस्या गांव में सार्वाधिक हिस्से और किस तरह से प्रभावित कर रही है।
- समस्या के समाधान के लिए गांव वालों ने क्या किया?

- नल जल योजना से गांव वालों के जीवन में क्या बदलाव आएः

प्रतिभागियों द्वारा दिये गये तीनों प्रस्तुतों के जवाबों को अलग-अलग चार्ट पेपर नोट करें। अगे बैंकस में उपलब्ध तीनों प्रस्तुतों के सम्भावित दिए गए हैं, यदि प्रतिभागियों के बताने में कोई महत्वपूर्ण जवाब नहीं दिये तो उन्हें साझा कर विषय पर समझ बनायें।

पहला प्रश्न – “पानी की समस्या गांव में सर्वाधिक किसे और किस तरह से प्रभावित कर रही थी” के सम्भावित जवाब

- गांव में पानी की गोपनीय समस्या थी।
- गांव के कुएँ गम्भीर में गुरुत्व जाते थे।
- हृष्टप्रपात का पानी नीचे बढ़ गया था जिससे काली देर बताने के बाद पानी लिकरता था।
- हृष्टप्रपात पर काली भौंड होती थी, लाइन लगाकर पानी मिलता था।
- टैकर आने का इतनार करना पड़ता था, भौंड अधिक होने के कारण समय बढ़ता होता था।
- महिलाओं को कापी दूर से लगभग 2 किमी में पहनी जाना पड़ता था।
- जल खोते गुरुत्व था, जिसे पक्षु गंदा कर देते थे जिसकी कलह में बीमारियां होती थीं।
- लखीकर्ता को रक्त जाने में अवசर देती हो जाती थी।
- पानी लाने के कारण बच्चों को गोपनीयताने का इमार नहीं मिलता था।
- दूर से पानी लाने में रास्ते में जहरीले जीवों के काटने का खतरा था।
- लोगों को काम/रोजगार पर जाने में देरी हो जाती थी।
- दूसरे गांव के लोग दूसरे गांव में आपनी बैठियों को छोड़ी नहीं करना चाहते थे। आदि प्रमुख हैं।

द्वितीय प्रश्न – “समस्या के समाधान के लिए गांव वालों ने क्या किया” के सम्भावित जवाब

- सभी लोगों ने मिलकार गांव में तीव्रता लगाई।
- बाहुपलाहन कही से लगेगी तभी जहाँ लगेगी, कौन सा जल खोते अवश्य रहेगा आदि ऐसों पर आपने चाहीं कान लोकना कराई।
- सभी ने क्षमता-अनुसार नगद एवं खाद्य ग्रन्त नहीं लगा पाया के असाधन की सक्षि जमा की।
- जब काम ढो रहा था तो गांव के लोगों के बाहर निशानों भी ली जाती रही।
- गांव वालों द्वारा लाने को देखते हुए गैरिवाई विभाग ने भी दूसरे सम्भास मार्फत ही।

तीसरा प्रब्र - नक्त जल पोषन से गांव बालों के जीवन में क्या बदलाव आए? के संभावित जवाब

- सभी घरों में जल संग्रह एवं प्रयोगित पानी मिलने लगा।
- अब महिला भी को पानी के हिसे पर ध्यान नहीं होना पड़ रहा था।
- बच्चियां समय पर सूखे अपने लगी और नियमित पट्टाई करने लगीं।
- बच्चों को लेने-कुदने के लिये भी प्राप्तीक समय मिलने लगा।
- रोजगार पर नौकरी/मालदूरी के काम समय पर होने लगा।
- सभी लोग जल समरण का कुटकारा प्राकार बहुत बढ़ा था।
- दुगित जल के कारण होने वाली बीमारियां भी घटना हो गईं।

सत्र समेकन

बताये कि हम उप सत्र में हमने जाना कि पेयजल की कमी से लोगों का किस प्रकार परेशानी उठानी पड़ती है और रोजमर्रा के काम के साथ-साथ परिवार, समाज और गांव के विकास पर भी इसका असर पड़ता है।

- बच्चियां सूखा नहीं जा पाती, उनकी पट्टाई छूट जाती है।
- बच्चियों को खोलने—कुदने का समय नहीं मिल पाता।
- लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कई प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं।
- समय बचाव होता है, घर के सभी सदस्य पानी लाने के काम में ही असर रहते हैं जिससे अन्य काम एवं रोजगार प्रभावित होता है।
- पानी लाने के रास्ते में जीव जलुओं के काटने का खतरा बना रहता है।
- गर्भवती और बुर्जा महिलाओं को पानी लाने में दिक्षित होती हैं।
- समय पर खाना नहीं बन पाता जिससे काम धड़े पर असर पड़ता है।

कहें— सभी को स्वच्छ प्रद नियमित पानी मिले इसके लिये आवश्यक है कि गांव की असी योजना बने। यह तभी समव है जब योजना बनाने और इसे लागू कराने में पूरा गांव की भागीदारी हो। आपने कितने में देखा कि बुलौपुर गांव के सभी लोग पानी की समस्या के समाधान के लिये किस प्रकार पक्काजूट हुए, उन्होंने योग का मैदान एवं अपने गांव की विस्तृत पोषन लैपार की, अशादान दिया, काम शुण्डकला पूर्ण हो इसके लिए काम की विभागी की जिससे घर-घर पानी पहुंचा और पूरा गांव सुखाहात हुआ। पानी की समस्या के बलों सुखीपुर गांव का नाम जहाँ बुलौपुर पड़ गया था, गांव के नाम के अनुरूप किर से लोग सुख का जीवन लीने लगे।

उप सत्र - 2 : जल जीवन मिशन की मुख्य बातें

उप सत्र के संचालन की प्रक्रिया

प्रब्र करें— जल जीवन मिशन की प्रमुख बातें क्या—छ्या हैं? प्रतिभागियों के जलबों को चार्ट पेपर पर नोट करें एवं सही जवाबों की दोहरायें।

- **सालाह फीफीटी (पहला दिन सत्र—१ जल जीवन मिशन के बारे में)** का उपयोग कर प्रमुख बातों को स्पष्ट करें या नीचे दी गई संदर्भ सामग्री का उपयोग कर जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

संदर्भ सामग्री

जल जीवन के बारे में दी गई जानकारियों का पुनः समरण कराने के लिये, प्रतिभागियों से पूछें कि जल जीवन मिशन के बारे में क्या-क्या प्रमुख बातें बतायी गईं एक-एक कर बतायें। एक प्रतिभागी को केवल एक बात सलाने का अवसर दे ताकि अधिक भोजित प्रतिभागियों को अवसर मिल सके। प्रतिभागियों के बताने में यदि कहीं कोई कमी रह जाता है तो अन्य प्रतिभागियों को उसमें जोड़ने के लिए कहें, यदि अन्य प्रतिभागी भी न चल सकते हों तो प्रशिक्षक स्वयं उस बात को पुनः स्पष्ट करें।

संदर्भ सामग्री

- **जल जीवन मिशन का विज्ञन/स्थान** - प्रारंभिक यामीण परिवार की जल जल के माध्यम से निर्णयित पर्याप्त पूर्व गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति करना।
- **जल किसे मिलेगा** - प्रत्यक्ष यामीण परिवार को।
- **कितना पानी मिलेगा** - ५५ लीटर प्रति सदस्य प्रतिदिन।
- **पानी कैसे मिलेगा** - एकल याम एवं बहुयाम योजना के माध्यम से। एकल याम योजना उन योजनों में होती जहाँ जलपूर्ति हेतु आवश्यक एवं उपयित जलकोत नौजुद है। ऐसे याम जहाँ उपयित जल स्रोत पुरावल्ला नहीं हैं उनका भाग्य बनाकर बहुयाम योजना में शामिल कर जलपूर्ति की जायेगी। योजना लागत का कम करने के लिए पहले से भीजुद जल स्रोतों को प्राप्तिकर्ता दी जायेगी।

- जल आपूर्ति की पोजना कौन बनायेगा - ग्राम धन्दाएंत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा सामुदायिक मिलकर अपने जलरत के अनुसार जलापूर्ति की पोजना बनायें।
- धनराशि - केन्द्र एवं राज्य सरकार मिलकर गांव को धनराशि देंगे। गांव गांवों को कुट लागत की 5 से 10 प्रतिशत राशि सामुदायिक अवधान के लाए में रुगानी होगी। जिन ग्रामों में अज्ञ/अज्ञ की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है वहाँ अवधान की राशि 5 प्रतिशत एवं अन्य ग्रामों में 10 प्रतिशत राशि देनी होगी।
- नल जल पोजना की निगरानी - ग्राम में नल जल पोजना के निर्माण एवं कियान्दयन की निगरानी पर्यायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति करेंगी।
- पोजना का संचालन एवं रखरखाव - ग्राम पंचायत, ग्रामसभा एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति करेंगी।
- नल कनेक्षन कहा लगेगा - घर के अंदर/ आगन में नल कनेक्षन दिया जायेगा।
- जल स्रोत का व्यवन - हर गांव में कम से कम दो ऐसे जल स्रोतों का व्यवन किया जायेगा जो सभी परिवारों को नियमित रूप से प्रयोग माज में जल आपूर्ति कर सकें। ये जल स्रोत — नदी, बोरवेल, कुप, बाबड़ी, बांध, नहर, ताताथ जादि हो सकते हैं।
- जल वितरण कैसे होगा -
 - सीधा जल वितरण - होटे गांवों में सीधे जल स्रोत से पानी खींचकर सभी घरों तक पहुँचाया जायेगा।
 - सम्प्र - मध्यम आवाही वाले गांवों में स्रोत से पानी खींचकर सम्प्रवेत में स्टोर किया जायेगा। सम्प्र में पानी फिल्टर होगा। इसके बाद हर घर में नल कनेक्षन के माध्यम से वितरित किया जायेगा।
 - ओवरहेड टैक - बहु गांवों में उपयुक्त स्थान का व्यवन कर ओवरहेड टैक बनाया जायेगा। स्रोत से पानी खींच कर पहुँते जल शीधन प्लाट में भेजकर शुद्धिकरण किया जायेगा। इसके बाद ओवरहेड टैक में भरकर गांव में वितरण किया जायेगा।
- बर्धा जल संचयन - पर्यायत एवं ग्रामसभा द्वारा ग्राम में बर्धा जल का संचयन किया जायेगा ताकि पानी की मांग और उपलब्धता में कोई कमी न हो।
- दो-वाटर प्रबंधन - घर-घर नल कनेक्षन होने से गंदे पानी की मात्रा भी बढ़ेगी। इसके प्रबंधन के लिए आवश्यक अधिसंरचनाओं का निर्माण कर गंदे पानी/दो-वाटर का प्रबंधन किया जायेगा।
- जल स्रोतों का स्थायित्व - जल स्रोतों में जल की कमी न हो इसके लिए पर्यायत एवं ग्रामसभा द्वारा जल स्रोतों का स्थायित्व के काम कराये जायेंगे।
- ग्रामीण सम्पादनों में नल कनेक्षन - स्कूली, आगनबाटी केन्द्रों, ग्राम पंचायत, भानी, स्कूली केन्द्रों आरोग्य केन्द्रों और सामुदायिक भवनों में भी कार्यालय का नल कनेक्षन दिये जायेंगे।

- जल परीक्षण -** वितरित किये जाने वाले जल की शुद्धता की जांच के लिए दर्थ में कम से कम दो आर बरसात से पहले और बरसात के बाद जल ओतों के पानी की शुद्धता जांच की जायेगी। इसके लिए ५ सदस्पीष महिलाओं के द्वारा को प्रशिक्षित किया जायेगा।
 - मासिक जल कर -** ग्राम सभा में चर्चा कर मासिक खर्च के अन्तर पर प्रति परिवार मासिक जल कर की राशि तब की जायेगी। ग्राम सभा चाहे तो गरीब परिवर्तों को जल कर में कृष्ट या रिक्षापत्र दे सकती है।

जल जीवन मिशन- कार्यान्वयन टांचा

三

- ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में नल जल धोखना के लिये आवश्यक पहल ग्राम सभाओं का भागीजन, ग्राम जल एवं साकृता समिति का मठम, धोखना की नियमानी।

卷之三

- ग्राम जल संवर्धन समिति का गठन, योजना का अनुमोदन कर निर्भारपण एवं संतुलन के लियम बनाया, जल वितरण के लियम बनाया, घोषना की प्रगति एवं आप व्याप की समीक्षा की।

प्राचीन वेदान्त संस्कृतम्

- ग्राम परिवर्तन निर्माण
सामुदायिक समरूप
प्रेषणत जप्तवासी का
शिक्षार्थ रखना। निर्माण
कार्य ली शिक्षार्थी
प्रशंसन नियमित
संचालन एवं रक्षणाप्र
शियमित जल मूलवाला
परीक्षण आदि।

प्रथम दिवस, सत्र-३ : नल जल योजना में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी का महत्व

सत्र के उद्देश्य

- नल जल योजना रो पानी की सतत उपलब्धता बनाए रखने के लिये सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर समझ बनाना।

समयावधि : १ घण्टा ३० मिनिट

आवश्यक लाम्पी : केस स्टेंडी - शाम बैशीपुर में पानी की स्थिति

सत्र संचालन प्रक्रिया

- इस सत्र में एक केस स्टेंडी के माध्यम से इस बात पर समझ बनायी जायेगी कि समुदाय का जुहाव ना होने की बजाह से गाव की नल जल योजना ठीक रो नहीं रहत पायी एवं पानी की स्थिति भी खतरव हो रही।
- प्रतिभागियों को ३ समूह में बाटे और अगे दी गई केस स्टेंडी की कार्यी प्रदान करे। समूहों को केस स्टेंडी पर आपस में चर्चा कर निम्न प्रश्नों के उपर जवाब देने के लिये कहें -

समूह-१ : गाव में नल जल योजना के हितभागी कौन कौन हैं और वे कैसे प्रभावित हो रहे हैं?

समूह-२ : लोगों के जुहाव से संबंधित उपाय कठिनाईयों देख रहे हैं, अगर जुहाव होता ही क्या होता?

समूह-३ : अगर फिर से नहीं योजना लगानी हो तो उसमें सामुदायिक भागीदारी कब कब आवश्यक है।

प्रतीक समूह को दिए गए प्रश्नों पर बातें बातें से अपना प्रस्तुतिकरण देने के लिये अनुमति दें।

सत्र समाप्ति

समूहों के प्रस्तुतिकरण के उपरोक्त चर्चा को निम्न चार बिंदुओं पर केन्द्रित कर हितभागियों की पहचान और विश्लेषण करायें।

- ऐसे हितधारक किनका महत्व और प्रभाव दोनों अधिक है, कौन है?
- ऐसे हितधारक किनका महत्व अधिक है ऐसे किन उनका प्रभाव कम है, कौन है??
- ऐसे हितधारक किनका महत्व कम है ऐसे किन उनका प्रभाव अधिक है, कौन है?
- ऐसे हितधारक किनका महत्व और प्रभाव दोनों कम है, कौन है?

प्रतिभागियों को बताये फिर नल जल योजना में गरीब उचित आदिवासी और महिलाएँ सदसे नहुत्यपूर्ण हितधारक हैं लेकिन इनका प्रभाव कम हो सकता है। इसके लिए इनकी क्षमतापूर्दि के साथ-साथ इन्हें समर्थित कर आगे सभाओं में इनकी आवाज को बुलन्द करना होगा।

केस स्टडी - ग्राम वंशीपुर में पानी की स्थिति

ग्राम वंशीपुर मध्य प्रदेश में स्थित एक छोटा सा गांव है। गांव में 5 बस्ताहटे हैं जिनमें कुल 250 परिवार रहते हैं और गांव की कुल आबादी लगभग 1500 के आसपास है। मध्य प्रदेश के अन्य गांवों की तरह वंशीपुर गांव भी कृषि प्रधान है। जहाँ लगभग 90 प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं दुग्ध व्यापार घर अनिवार्य हैं। 20 प्रतिशत लोग सामाज्य मजदूर हैं एवं बाकी लोग निजी व्यापारात् और सेवाओं से जुड़े हैं। गांव में 3 स्कूल, 2 अंगनवाड़ी केन्द्र, 1 पेंचायत भवन स्थापित हैं। गांव के ऊपरान्तर घर पक्के हैं एवं इसी साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 12 नए घर स्वीकृत हुए हैं।

गांव की सामान्य जानकारी

बस्ताहट की जानकारी	परिवार संख्या	सरकारी भवन / भौगोलिक स्थिति	प्रशुधन
पहली बस्ताहट मिशित जनसंघाया ठाकुर, चनिया एवं बास्तुण परिवार	80	1 प्राथमिक स्कूल, 1 मिशित स्कूल, 1 अंगनवाड़ी	300 गांव/भेस
दूसरी बस्ताहट - अग्रिकल्चर चनिया, आदिवासी व दलित परिवार	40	टीले पर बसा है, यहाँ कोई सरकारी भवन नहीं है	10 गांव/भेस एवं 30 मुर्गी एवं बकरी
तीसरी बस्ताहट - दलित परिवार	20	गांव की मुख्य बस्ताहट से दूर बसा है	110 मुर्गी एवं बकरी
चौथी बस्ताहट - ठाकुर, एवं बास्तुण परिवार	70	1 पंचायत भवन	70 गांव/भेस
पांचवीं बस्ताहट - मिशित आबादी	60 परिवार	1 प्राथमिक स्कूल अंगनवाड़ी	80 गांव/भेस एवं 70 मुर्गी एवं बकरी

वैसे तो यांचों बसाहटे एक दूसरे से आधा योन किमी दूरी पर स्थित है। लेकिन तीसरी बसाहट जिसमें 20 दलित परिवार रहते हैं, मुख्य गांव से सबसे दूर है। गांव की एक दूसरी बसाहट जिसमें करीब 40 परिवार रहते हैं, खोड़ी ऊदाई पर होमे के कारण यहाँ अधिकतर समय पानी की कमी बनी रहती है।

गांव में पानी की आवश्यकताये

गांव में पानी की खपत मुख्यतः कृषि, पशुपालन तथा घरेलू उपयोग में होती है। गांव की कुल आबादी 1500 है, गांव का योगी का रकमा लगभग 2200 एकड़ में फैला है। जिसमें से 1600 एकड़ भूमि सिवित है और 600 एकड़ असिवित है। किसान मुख्यतः खारीफ में भोजावीन और ददी में गेहूं एवं चना (800 एकड़ में गेहूं और 800 एकड़ में चना) लगाते हैं। गांविया में पानी नहीं रहने की कजाह से लोग कोई फसल नहीं लगा पाते।

गांव की दो बसाहटें जो गांव के केन्द्र में हैं यहाँ बड़ी संख्या में दूध के लिये पशुपालन होता है। गांव में कुल गांव डेट, भेस की संख्या 450 है और लोटी पशु 260 (भेट बकरी - 160 और मुर्गी अंडि - 100) है। जलाशाल गाय-भेस गांव के समूह परिवार, जो गांव की घनी बसाहट में रहते हैं उनके पास है। बकरी व मुर्गी अधिकतर दलित, आदिवासी व कुछ बनिया परिवारों के हारा पाती जा रही हैं।

गांव में अब तक की पानी की व्यवस्था

गांव में ओसतम 700 मिमी बारिश होती है। गांव में एक पुरानी एक नलजल योजना लगी हुई है, जो पिछले चार सालों से लगभग बंद है। यह योजना कारीब 10 साल पहले किमी सरकारी योजना के अंतर्गत लगायी गयी थी। शीर-धीर जलस्तर कम होने के कारण यह कम पानी देने लगी और गर्भा के 3-4 महीने लगभग मुर्गी रहती है। योजना लगने के 2-3 साल बाद ही पाइपलाइन में टूट-फूट होने लगी और सरमल की जलनस पड़ने लगी। पिछले 8 सालों में एकाधिक गहरा 3-4 बार मोटर की सरमल भी करायी गई। मोटरों में जने वाले ट्रैक्टरों से पानी की पाइपलाइन कई बार टूट जाती थी। आर-वार सरमल कराने में एकाधिक असमर्प थी। गिरते जल सर के बलते एवायल ने अब सरमल कराना बंद कर दिया है। अब दूसरा बंद पहली योजना को हसी वर्षे रेट्रोफिटिंग के अंतर्गत लिया गया है। इस साल पहले जल यह योजना प्रारंभ हुई थी तो शुरू की पहली दो बसाहटों में पर्याप्त पानी मिल जाता था। जहाँ पर छोटी पानी की टैक्टी में पानी भराकर पानी की व्यवस्था की गई थी।

गांव में नल जीवन मिशन के अंतर्गत रेट्रोफिटिंग के लिये नल जल योजना का काम जनवरी 2022 में कुल हुआ है। नल जल योजना के अंतर्गत एक लाख लीटर की नई टैक्टी बनाई गई है। टैक्टी की भरने का लिए दो नए बोरोल (एक 500 फिट गहरा एवं दूसरा 1000 फिट गहरा) भी बनाए गए हैं। टैक्टी से पाइपलाइन के माध्यम से जल का नेतृत्व दिए गए हैं। तीसरी बसाहट जिसमें 20 परिवार हैं, वह नल जल कानूनीय से टूट गई है। साथियों द्वारा

रोक्षगार सहायक प्रृष्ठ या पानी की मोटर चलाकर पानी की टकी को भरते हैं। कई बार पीछे के मोहल्लों में पानी धूरी तरह नहीं महुब पा रहा है। उसका मोहल्ला जिसमें 40 परिवार रहते हैं वहाँ पर कभी कभी पानी आता है। वहाँ के लोग अक्सर सरपंच से शिकायत कर द्यते हैं कि उनके घरों नहीं कनेक्शन तो है लेकिन पानी नहीं आता। पहले की दो बरसाहटे इस घटना से बहुत प्रसन्न है। लौटेन जैसे ही अद्वित का महीना अखण्ड पानी की कमी होने लगी। अब पानी बहुत कम दौर के लिए एवं मोटर रोक-रोक कर ढलाने पर ही पानी आता है। घंचायत यद्य समुदाय सभी वित्तित है कि पानी की उपलब्धता को कैसे बढ़ाव दाये। पानी की कमी के कारण 2 सार्वजनिक कओं और चालू कैण्डलपप से ही पर गाव के लोग पानी ले रहे हैं।

गाँव में 2 तालाब हैं, जो पहाड़ी और पोखड़ी बसाहट में हैं। तालाबों की ओमत लम्बाई 10 मीटर और ओमत चौड़ाई 12 मीटर रखा औमत केचाई 3 मीटर है। पांचवी बसाहट वाले तालाब की पानी टूट गयी है एवं उसकी मात्रमत की जलरक्त है। उसके अंदर निटटी और गाद भर गयी है, जिसमें तालाब में कम पानी ठहरता है। इसके अलावा तालाब में पानी आने के दास्ते में सड़क, बसाहट आने को कजह से पूरा पानी तालाब में नहीं आ पाता और यह पानी बसाहटी में भर जाता है। दूसरा तालाब गाँव के अद्वारनी भाग में पहाड़ी बसाहट में है। इस तालाब का उपयोग अधिकातर निसार और पशुओं को पानी पिलाने के लिये होता है तोकिन मर्म के समय यह तालाब भी सख्त जाता है।

गांव में कुल 4 सार्वजनिक कुएँ और 14 निजी कुएँ हैं। इनमें से तालाब के पास काले 2 कुओं में जल भर पानी रहता है जिससे पहले उगम्पण आदि गांव पानी सिंच करता था। कुओं की औसत विस्त्रिया 2 मीटर और औसत गहराई 12 मीटर है। लेकिन नरं जल धोखा के आ जाने से इन कुओं का उपयोग बंद कर दिया गया और इसमें शोग करवा के काने लगे। एक क्रृषि पर्यायत के ठीक सामने गांव के स्थानीय दोस्त सिंह है। अब वे टीन साल वहाँ



तक इसमें पूरे वर्ष यापित मात्रा में पानी रहता था लेकिन अब कुएं के ऊपर का चेहरा टूट गया है और गाढ़ जलमने के बजह से कम पानी जल्म होता है और इसमें भी लोगों ने कचरा किया नहुँ कर दिया है। कुएं को सुधारकर साफ़ पानी देने योग्य बनाये जाने की संभावना है। नाव वालों का सुझाव है कि इस कुएं की मरम्मत हो जाए तो गर्मियों में पानी के लिये उपयोग किया जा सकता है लेकिन उसमें गढ़वाली निरंतर बहुती जा रही है। नीथा कुआंगर्मियों से गहराती खराती नाले पर लिये उम्र के पास हैं। इसमें भी एर तर्ह पानी

रहता है जिसके पानी से पंचायत गर्भियों में टैकर के भाष्यम से गात में पानी का इतनाम कारती है, लेकिन इस कुए से पूरे गांव की पानी की अपूर्णता नहीं की जा सकती है। डेम की उम्माई 600 मीटर, ओर्फ़ाई 30 मीटर और ऊम्माई 1 भीटर है।

गांव के 21 हेन्डपर्सों में से 4-5 हेण्डपर्स मूले एवं टूटे पड़े हैं जिनका फिल्मुल उपयोग नहीं होता है। बाकी 16-17 हेण्डपर्सों में से लिफ्ट 2 हेण्डपर्स ऐसे हैं जिनसे 12 माह पानी मिलता है। अन्य हेण्डपर्स सात में 6 से 8 महीने ही पानी देते हैं। स्कूल और आगनवाडी वाले हेण्डपर्सों के आसपास कभी किसी योजना के तहत सोखा गड़दा बनाया गया था वह पूरी तरह भर गया है एवं टूट गया है। ऊपर की लोटी बसाहट जिसमें 20 परिवार रहते हैं वहाँ 2 हेन्डपर्स हैं, 1 हेन्डपर्स में 6-8 महीने पानी मिलता है जिससे उस बसाहट के लोग पानी लेते हैं। दूसरे हेण्डपर्स को पीएचई विभाग ने बांट कर दिया गया है। उनका कहना है कि इस हेन्डपर्स में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है।

2016 में किसी संस्था के द्वारा स्कूल एवं अंगनवाड़ी में रेम वाटर हार्डेस्टग बनाया गया था। इसके बाद से स्कूल के हेन्डपर्स में गर्मी के दो महीने लोहकर पूरे साल पानी रहता है। उसी संस्था ने 2 सार्वजनिक हेन्डपर्स पर मोहल्ले के रूप में सोखा गड़दा भी बनवाये थे, लेकिन सोखा गड़दा भी अब बेकार हो गये हैं उनमें गोदा पानी भर जाता है और रिसात रहता है। स्कूल के प्राप्त्यापक एक जिम्मेदार व्यक्ति है वह उत्त से बनाये गये रेम वाटर हार्डेस्टग की मरम्मत और नियंत्रणी पर ध्यान देते हैं इसीलिये स्कूल की भवस्था चल रही है और वहाँ का हेन्डपर्स भी रिचार्ज होकर लगभग 10 माह पानी दे रहा है।

संदर्भ सामग्री

इस युडाव या सहभागिता की प्रक्रिया को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है

1. सभी प्रकार के हितभागियों की पहचान - दूर मोहल्लों में रहने वाले, अलग-अलग जाति एवं समुदाय के सोन, अलग-अलग तरह की आजीविका में लगे सोन। नए जल योजना से जुड़े हुये अलग-अलग विभाग और पीएचई, ठेकेदार और पंचायत प्रतिनिधि आदि की सहभागिता-आवश्यक है। लोग से हितभागी अधिकतर छूट जाते हैं और छूट हुये पर हितभागी योजना पर कैसे अपना प्रभाव डालते हैं।
2. समुदाय को खाद्य, काब जीकूने की आवश्यकता है - नए जल योजना जा काम



शुरू होने से पहले काम के दौरान ऐसे काम पूर्ण होने के बाद उसके संतुष्टि में लीनी ही सेवा पर समुदाय की सहभागिता जल्दी ही।

3. सहभागिता हासिल करने के कुछ व्यवस्थित तरीके - समुदाय की सहभागिता से सामाजिक व सांसाधन मानचित्र बनाना, ट्रॉपेक्ट वाक, समूह चर्चा, ग्रामसभा का आयोजन इत्यादि। इन सभी तरीकों को उद्देश्य के अनुसार समय-समय पर प्रयोग करने से, लोगों में समस्या के प्रति एक सज्जा समृद्ध करती है। वह समस्याओं का समाधान भी निकालते हैं एवं समाधान के प्रति उत्तरदायी भी रहते हैं।

उपर दिये हुए तीनों विषयों पर चर्चा करते समय प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करे एवं नीचे दिये विनुओं को साझा करे।

हितभागी (स्टेकहोल्डर) कौन है?

- पौरक्षई विभाग/ठेकेदार के अलावा, दूर जंचाई पर टीके पर रहने वाले मोहल्ले के लोग, घरेलू पानी से संबंधित रोजगार करने वाले लोग जैसे- डेंपरी, मुर्गियालन, बकरीगालन करने वाले लोग। इन्हें सहभागी समूह, ग्राम जल पर स्वच्छता समिति आदि।
- घरेलू पानी का संबंध महिलाओं से अधिक होता है इसिलिये महिला यहाँ प्रमुख हितभागी हैं।
- अन्य हितभागी यदि गांव में कोई हैं।

हितभागियों को जोड़ना क्यों आवश्यक है?

- मोहल्लों में अमर पानी नहीं पहुंचता, सो वे व्यवस्था को लाने में सहयोग नहीं करते।
- गाड़ी, लाठी इत्यादि से पाइपलाइन तोड़ भी सकते हैं।
- जिन मोहल्लों में कम या अपर्याप्त पानी मिलेगा वहाँ के लोग कुछ दिनों बाद जल कर देना बंद कर देंगे।
- यदि सभी लोग सामृद्धिक प्रगति नहीं करेंगे तो यहाँ की कार्रवाई होगी।
- धीरे-धीरे जमीन का पानी भी खड़ा हो जाएगा।



भागीदारी काव- काव आवश्यक है।

योजना बनाने के समय

- सभी मोहल्लों में आवश्यकतामुक्त पर्याप्ति उपलब्ध हो।
- प्राथमिकताएँ भवन के उचित रूप से तय करता रहिए। सभी को प्रेसर के साथ रखनी चाहिए एवं इस पूर्ण रूप से हो।
- बोरोड रेत भी जलन व्यवस्था द्वारा बह रही हो। इसका उत्तराधार हो।
- यात्रा कार्य सोडना एवं भूमि खींचना चाहिए।

योजना के विचान्वयन में

- नियमित सामग्री एवं उचित सामग्री के अनुसार बोरोड लागू हो।
- यह दोषमुक्ति के आवश्यकतामुक्त और तर्फ नियमित के अनुसार प्रदेश के रूप में नहीं बोरोड लागू किया जा रहा हो।
- उत्कृष्ट एवं विभिन्न को लगाकर सहयोग करना तरीके काम सोडना से एवं जल सार्वत्रीय हो सके।
- शुरू भी विभागीय बनाना।

योजना के संवर्धन व स्वधिल में

- उत्कृष्ट एवं दुरुदृढ़ी से बहते बहु दुष्प्रियता हो तो वो उत्कृष्ट संवर्धनीयी हो जाए जाती है।
- ऐसे भी सम्भव हो सकता कि विभिन्न विभागों के बीच व्यापक व्यवस्था के रूप में विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत सम्बद्ध देना।
- ऐसी भी भागीदारी के दोषमुक्त संवर्धन के लिये बहुत सारी जल सार्वत्रीय करना।
- योजना भी विभागीय रूप यानी भी लिये जल सार्वत्रीय करने के लिये आवश्यकता की विभिन्नता करना।
- यात्रा में जल भी उत्कृष्ट सहयोग करने के लिये विभिन्न विभागों के बीच संवर्धन एवं व्यापक हार्डिसिटी, गोदी में यानी जल का बहत करना।

योजना निर्माण के समय सहभागिता प्राप्त करने के कुछ व्यवस्थित तरीके

सामाजिक मानविक

उदारेश्वर के अनुसार, समुदाय के साथ मिलकर एक पेसा नवकार बनाना, जिसमें भाव के सीम तिभिन्न बसाहटों में यानी की आवश्यकता की एक नफ्तों पर साझारण तरीके सो दर्शा सकें। यानी की आवश्यकता को भी कुत विविधता की संख्या कुल पशुओं की संख्या के आधार पर नफ्तों पर दर्शायि। सभी की भागीदारी होने से यह समझ में आता है कि, कहीं कुछ लोग कुठ तो नहीं रहे हैं या कोई बसाहट ऐसी तो नहीं है जहा यानी का कोई अवकाश नहीं ही नहीं है या किर कहीं लोग यानी का दुर्लाप्योग तो नहीं कर सके हैं।

जब साथ मिलकर सभी लोग एक साथ मुद्राओं पर सोच विचार करते हैं, तब वे समस्याओं के बेहतर व उपयुक्त समाधान निकालते हैं एवं अपनी जिम्मेदारियों को भी समालते हैं।

संसाधन मानविक

संसाधन मानविक के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता को साधारण तरीके से नहीं पर दर्शाया जाता है। जहां जीवन मिशन के इष्टिकोण से संसाधन मानविक में हेण्डुपम्प, कुम्भा तालाब, नदी, नल जल योजना आदि की उपलब्धता, उपयोग एवं गुणवत्ता को इस मानविक में दिखाया जा सकता है।

यह आवश्यक है कि इस विधि को सक्षम में पूरा करे, ताकि लोगों का सक्रिय युक्ताव बना रहे। इसे पानी संवर्धित संसाधनों पर ही केन्द्रित रखें जैसे ८ माह बलने वाले हेण्डुपम्प, १२ माह बलने वाले कुएँ आदि का विप्र उनाकर नवया पर प्रदर्शित करें।



नोट : सामाजिक/ संसाधन मानविक को पानी के उपलब्ध संसाधनों और आवश्यकताओं पर ही केन्द्रित रखें।

ट्रांजिट वाक

साधारण शब्दों में इसे गंव में भ्रमण करना कहते हैं, लेकिन जब यह भ्रमण किसी प्रक्रिया के तहत विशेष उद्देश्य के लिये किया जाये अर्थात् कहा यानी वह रक्षा है, जिन मोहती में पानी है जिनमें नहीं कहा पद्धु अधिक हैं, कहा पर लेती मूती है, कठोरता नाला है जिस पर चेकडेम बनाने की संभावना है, तो भ्रमण की इस व्यावस्थित प्रक्रिया को ट्रांजिट वाक कहते हैं। ट्रांजिट वाक हमेशा गंव के लोगों के साथ ही करना चाहिए। ट्रांजिट वाक का उद्देश्य प्रियंका अवश्योकन ही नहीं बल्कि एक सामूहिक समझौता बनाना है। ट्रांजिट वाक के द्वारा लोगों में चर्चा करते रहे, जिससे लोग मुद्राओं पर संविदनशील हों, समझौतायें एवं आगे अनुशासित हों।

कई बार जानकारी संकालित करते समय लोग अपने निजी हित के बलते जहां जानकारी नहीं देते, ट्रांजिट वाक के द्वारा नौकर पर जाकर इन जानकारियों को साझापित किया जा सकता है। जैसे - कुम्भा ताला पद्धा है, जाताह सूख जाता है पा तसम्म पानी रहता है, आदि।

योजना निर्माण की सहभागी प्रक्रियाएँ



संगत जन-प्रश्नों
(ट्रायलेक्स जनक)।



सामाजिक एवं
संस्कृत
ग्रन्थों
- वर्तमान
पेपर्स क्लब
वर्तमान वर्तमान
गोपनीय, सांक में
संस्कृत, सांक में
वर्तमान
सरकारी, सरकारी
पानी का
नियमान्वय, दोष



पारिक सोशली
चार्ट
इस चार्ट के
माध्यम से साथ
में विभिन्न प्रका
र पारिक
स्थिति का
विवरण करते
हुए योग्यताएँ
की स्थिति,
भूमिका जब
स्तर, और गति,



जिन्हें इस वर्षीय
प्रकृति विद्युतों पर
इसे बदलाव की
बालाकारी
से मौजूदा करत
भोज में हुआ
बदलाव, भूमिका
बदलाव में हुआ
बदलाव, काला
के बदलाव, भूमिका
के रूपों, शिवार्दि
द्वारा, लिपाई के
वर्णों, प्रशंसन,
चल जीवित
जीवारियों का
प्रशंसन



संस्कृत वाच
दूसरा प्रतिपादा का
उद्देश्य समाप्त
दूसरा भौतिक उद्देश्य है
प्रभावित
व्याख्याती
प्रभावित व्याख्या
कुल के लिये,
व्याख्या व्याख्याती
व्याख्याती की
विभिन्नी, यहाँ ही
व्याख्या व्याख्याती
विभिन्नी, व्याख्या
व्याख्याती की
विभिन्नी

योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के दौरान सहभागिता प्राप्त करने के तरीके

- यदि योजना का क्रियान्वयन सही ढंग से और मुख्यतः पूर्ण होगा, तो लोगों को नियमित और पार्श्व मात्रा में जल आपूर्ति संभव हो सकेगी। जिससे लोगों को योजना पर भरोसा काम होगा।
 - क्रियान्वयन के द्वारा लोगों के सुधारी को महत्व देने से उनमें स्थिरित बड़ी भावना अर्हता है।
 - योजना के संचालन एवं रचारणात् संबंधी नियमों का निपटाइल समुदाय की सहभागिता से होना तो नियमों की लागू करने में मदद मिलेगी।
 - शिकायतों का ल्परित नियारण करने की जावस्ता होना चाहिये।
 - नल जल योजना के आध-त्यय का लेखातीया समय-समय पर समुदाय के समृद्ध प्रस्तुति क्रिया करना चाहिए। इससे लोगों का विश्वास बढ़ता है।

प्रथम दिवस, सत्र-4 : ग्राम कार्य योजना (बीएपी) निर्माण

सत्र के उद्देश्य

जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी हितभागियों की भागीदारी से नह जल योजना की एक अच्छी कार्य योजना बनाने पर समुदाय की तैयारी पर समर्थ बनाना।

समयावधि : 1 घन्टा 30 मिनिट

आवश्यक सामग्री : चार्ट ऐपर, मार्कर यैन, केस स्टेंडो, पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

- सत्र के आरंभ में पीपीटी (पहला दिन, सत्र-4, बीएपी निर्माण) के माध्यम से बीएपी के सभी फटकों और निर्माण के लकड़ों से परिवित करायें। इसके उपरोक्त जल स्रोत (स्रोतवेत्ता) से लेकर नह कनेक्शन तक बनायी जाने वाली ड्राइंग को समुदाय के साथ तैयार करना, ताकि विभाग/ठेकेदार के साथ एक अच्छा सामर्थ्य स्थापित हो सके। इसके अलिंगिक मोहल्लेओं पर यानी की अधिष्ठानकाल एवं प्रोजेक्ट द्वारा अपूर्ति का भी अंकलन हो सके।
- सत्र के प्रारंभ में पिछले सत्र की केस स्टेंडी में उधीरुर गोद के किन-किन मोहल्लों को यानी नहीं मिल रहा था और कहा पर कम प्रेशर के कारण पर्याप्त यानी नहीं मिलता था। इसके बाहर कारण थे, जिसे बिन्दुओं पर खुली चर्चा करके यान आकर्षित करायें।
- ग्राम विकास योजना महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि एक आवश्यक दस्तावेज भी है, जिसके आधार पर डीपीआर बनायी जाती है और योजना में लगने वाली लागत निर्धारित की जाती है। अगर यह टीका प्रकार से नहीं बनायी जाती है तो संभावना है कि कुछ मोहल्ले कुट जाते, किसी कम यानी देने वाले बार में ही मोटर ढाल दी जाये या किर छोटी टक्की का निर्माण हो जाये आदि। ग्राम कार्य योजना एक विस्तृत दस्तावेज है जिसे साधारणतया आईएसए द्वारा पंचायत एवं समुदाय की सहभागिता में बनाया जाता है। १००% ५० प्रतिशत गोद की यान कार्य योजना बनकर जेलेजम पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है।
- जल्दी के कार्यकारीता से अपेक्षा है कि वह इस ग्राम कार्य योजना को प्राप्त करके लोगों के साथ बांझा करे। पर्याप्त ग्राम कार्य योजना नहीं बनायी गई है तो लोगों के साथ मिलकर एक विस्तृत कार्ययोजना बनाते ही जिस ग्रामसभा में पारित करका कर जाय विभाग का काम आरंभ हो से विभाग एवं ठेकेदार से साझा करे। यहाँ एवं समुदाय की कार्ययोजना की पहुंच से तैयारी होगी तो नियंत्रण योजना का विनाशक बोल्डर सेराफ़ होगा। आगे के सभी में बीएपी के प्रमुख फटक जिसमें जल स्रोत की पहचान से लेकर नह कनेक्शन तक सुरक्षा योजना,

प्रानी की मुण्डकला भेद प्रानी का प्रदूषण हृत्यादि के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। यहाँ हम दीएपी निर्माण प्रक्रिया की स्थिति अनुसार समुदाय को क्या करने की आवश्यकता है। इस पर बात करेंगे।

दीएपी निर्माण की प्रक्रिया को तीन भागों में देखा जा सकता है :-

पहला - जहाँ दीएपी बन सका है और नह जल्योजना का काम भी पूरा हो गया है।

• यदि कोई मोहल्ला/पर छुट नहीं है तो कुछ जगह पर जली कम प्रेषण से आता है या जल समय के लिए आता है कुछ जगह पर पानीपताइन में लीकेज है तो वहाँ सूखे मोहल्ले में पानीपताइन लिखाने, सभी परोंमे प्रेषण के साथ जानी हो जल्योजना पानीपताइन की स्थापन आदि के लिए अनुमोदक दीएपी बनाकर जाम सभा से अनुमोदन उपरोक्त जाम संघात को दें।

दूसरा - जहाँ दीएपी बन सका है और नह जल्योजना का काम चल रहा है।

• विभाग/ठेकेदार से जल्या लेकर उसकी समुदाय के साथ सहा कर लें। यदि कोई मोहल्ला पर पानीपताइन में छुट रहा हो तो उसके लिये पूरक दीएपी बनाकर जाम सभा से अनुमोदन उपरोक्त जाम संघात को दें। पानीपताइन सभी से उचित गहराई में लिखाई जाए, जलकर अनुसार जाल जगह जारी रखें, पर के अद्वार नह फारोक्कान तरो इसकी नियामनी करें।

तीसरा - जहाँ अभी दीएपी नहीं बना है।

• वाभी हितधारकों के साथ दो अड्डे जल संतोषी की बहावान व दूपान, यानी की टैकी का स्थान कुल नह करनेकरन की संख्या, दालव कहाँ-कहाँ लाता है, पानीपताइन कहाँ से लिखायी जाएगी, यदि लिखायी पर सामूहिक नियम के साथ अब्दा और लिखा दीएपी बनाया जा सकता है।

नोट : प्रशिक्षक प्रतिभागियों को 3 समूहों में बाटकर दीएपी निर्माण उपरोक्त तीनों स्थितियों में प्रक्ष. एक स्थिति समूह को देकर जमुदाय को क्या करने की आवश्यकता है इस पर जमूह चर्चा और प्रस्तुतिकरण करा सकते हैं।

प्रशिक्षक नियम + जाम



बीएपी में दिखे गये पानी के खोल एवं जल वितरण पाइपलाइन का नक्शा

दूसिंह बीएपी का एक मुख्य उद्देश्य यामी के स्रोत से हर घर में नल कनेक्शन का निकाल बनाना है। इसलिये इस सत्र में इस विन्दु पर विस्तार से उल्लेख किया जा रहा है।

पंचायत, पीएवई विभाग/लेकदार ने यदि कोई इस तरह का नक्शा बनाया है, तो उसे प्राप्त कर लोगों के साथ साझा करके उस पर सामूहिक चर्चा की जा सकती है। अगर कोई बसाहट इस योजना में हुई गयी है तो उसका एक पूरक प्लान बनाकर विभाग को दे। ताकि उस बसाहट को योजना में शामिल किया जा सके।

यदि इस प्रकार का कोई नक्शा एवं डीचीआर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो समुदाय के साथ मिलकर मोहल्ले में ट्रायेट वाक, सामाजिक मानचित्र बनाकर एक नीता खांका हैपार करे जिसमें मोहल्लेकर घरों एवं पशुओं की जनसंख्या के आधार पर नल कनेक्शन की संख्या, पाइपलाइन बिलान के रास्ते एवं वातन कहा कर सकते हैं। यह एक विस्तृत बीएपी नहीं है, लेकिन नलजल योजना तयार के लिए बहुत उपयोगी होगा।

बीएपी की समीक्षा में निम्न प्रमुख बातों का ध्यान रखो -



प्रमुख बाटक	व्याप्ति देने वो वाते
पानी का स्रोत	कम से कम 2 या अधिक ऐसे खोल जिनमें 12 मात्र पानी रहता है।
पाइपलाइन का विताव	सभी मोहल्ले और सभी घरों तक पर्याप्त यानी की उपलब्धता। जो मोहल्ले ऊचाई पर हैं और अधिक प्रेशर लोने पर ही वहाँ पानी पहुँचेगा तो उसकी उपलब्धता कैसे बनायी गई है। पाइपलाइन सुरक्षित रास्तों पर है जहाँ ट्रॉ-फ्रॉट कम होंगी, गहराई पर है एवं नातियाँ इतानि से दूर है।
पशुओं का स्थान	जिन मोहल्लों या घरों में पालन पशु हैं या वहाँ संबंधित अवस्था है वहाँ पर

आवश्यकता रण आंकड़न

इस शोत की आन में सबसे हुआ पहाड़ता है निर्धारण।

टक्की का निर्माण

अगर घनी बसाहट या बस्तु गाँव है तो टक्की का निर्माण हीना चाहिए। लगभग किसी धमता की टक्की की जलारत पहेंगी और कोन सा स्थान टक्की के लिये सही होगा।

अगर किनी मोहत्तो के घर स्वेच्छा में फलोराइन या अन्य रातायनिक तत्त्व नहुल अधिक हैं तो उसके लिये क्षया व्यवस्था की गई है उसका वर्णन।

नियोजन प्रक्रिया के बदल

गांव की प्रोफाइल

बनाना (1)

जिगरानी व्यवस्था
(8)

बसाहट की प्रोफाइल
बनाना(2)

तकनीकी मूल्यांकन
(7)


जल स्वेच्छा की पहुचान एवं
मुण्डता परीक्षण(4)

जल अनुगमन (6)

वर्तमान पेयजल आपूर्ति का
अव्ययन(3)

वॉटर बलट (4)

प्रसारित भानी की टक्की का
नवाप्ता (5)



द्वितीय दिवस

द्वितीय दिवस, सत्र-2 : नल जल योजना की डिजाइन - ओवरहेड टैक, राइजिंग मेन, जल वितरण लाइन आदि

सत्र के उद्देश्य

नल जल योजना के नियमित के द्वारा बतायी जाने वाली विभिन्न संरचनाओं और अवयवों पर समझ बनाना।

समयावधि : 1 घन्टा 30 मिनिट

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर एवं पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

- प्रतिभागियों का संचया अनुसार 4-5 समूह में बांटें।
- प्रत्येक समूह को जल खात से लेकर घरेलू कनेक्शन तक बनायी जाने वाली विभिन्न संरचनाओं और अवयवों के फोटो का एक-एक सेट चार्ट पेपर लिपिकारण के लिए गोद और मार्कर पेन प्रदान करें। यदि फोटो रगीन ही हो तो अच्छा होगा।
- समूहों को दिए गए कोटों सेट को तकनीकी रूप से उचित क्रम में चार्ट पेपर पर लिपिकारते हुए नल जल योजना का स्वरूप सेयार करने के लिए कहें। साथ ही मार्कर पेन की मदद से हर एक संरचना एवं अवयव का नाम भी लिखने के लिए कहें।
- समूह कार्य पूर्ण होने पर बारी-बारी से समूहों को प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करें। प्रस्तुतिकरण के द्वारा समूहों को संरचनाओं और अवयवों की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी देने के लिए कहें। प्रत्युतकर्ता समूह से अन्य समूह के सदस्यों को सवाल पूछने सभा सुझाव देने के लिए समय प्रदान करें।

समूहों के प्रस्तुतिकरण में मत जल योजना से संबंधित इन संरचनाओं और अवयवों की जानकारी पर स्पष्टता नहीं बन पायी ही पीपीटी (द्वितीय दिवस, सत्र-2, नल जल योजना की डिजाइन) के माध्यम से संपूर्ण करायें।

संदर्भ सामग्री

जल आपूर्ति के आधार

उत्तमान सभा अगामी 25 मार्च बाद की जनसंख्या तुल्य को भ्यान में रखते हुए पानी की जलवायन के अंकितन अनुसार जलापूर्ति सांख्यिकी संरचनाओं को डिजायन कर निर्माण कराया जायेगा। जल आपूर्ति के प्रमुख साधारण -

- जल स्रोत
- पम्प के प्रकार एवं कामयाबी
- साइरिंग मेन पाइपलाइन
- पम्प हाउस / स्टाटर माइन्ट
- जल वितरण व्यवस्था
 - स्पॉट सोर्स (सोर्स से घर तक सीधी सप्लाई)
 - स्पॉट सोर्स (सोर्स के पास डोटा एक बमाकर सप्लाई)
 - सम्पर्क (जनसंख्या के आधार पर)
 - अंडर होट टैक (जनसंख्या के आधार पर)
- जल वितरण या जिसीचुपान पाइपलाइन
- बैक वाल्व
- फैलर
- घर के अन्दर नल का कमीशन
- स्टेल पीस्ट एवं टोटी

1. जल स्रोत

जल जीवन मिशन के लिए मूल रूप से गौव की सीमा के अन्दर उपलब्ध पानी के स्रोत को जल आपूर्ति के लिए चाहने किया जाता है जोकि योजना की लागत को छाड़ किया जा सके।

- योजना बनाने के लिए मूल की सीमा के अन्दर या आसपास के उपलब्ध पानी के स्रोतों में नदी, कुएं, बोरवेट, बाढ़ी, तालाब, बोध, नहर आदि हो सकते हैं।
- मूल जल योजना के लिए भूमिगत एवं माल्ही दोनों ही जल स्रोतों की उपयोग किया जा सकता है।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बर्तमान में हर घर नल जल योजना में ज्ञायाल भूमिगत जल स्रोतों का ही



उपयोग किया जा रहा है।

जल स्रोत का स्थान चयन

- नस जल योजना में दो से अधिक जल स्रोतों का चयन जरूरी है ताकि विकल्प के रूप में जल स्रोत की उपलब्धता एवं जल वितरण की नियन्त्रिता बनी रहे।
- किसी भी गांव में नल जल गोड़ना के लिए भूमिगत जल स्रोत का उपयोग करना होता स्रोत चयन के लिए स्थानीय जानकारों, बुजुर्ग एवं भूजल-पैशानिक (जिन्हें हाइड्रोटॉकेस्ट) से मदद लेकर सही जल स्रोतों का चयन किया जाना चाहिए और उसकी पूरी जानकारी पंचायत के कार्यकारी रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए ताकि भविष्य में स्थानरखाव में आसानी हो।
- जल स्रोतों का चयन करते समय बान-रखना होगा कि चयनित स्रोत लम्बे समय तक (कम से कम 30-35 वर्ष) पानी उपलब्ध करा सके।
- जहाँ तक संभव हो जल स्रोत का चयन और निर्माण सरकारी जमीन पर ही किया जाना चाहिए।
- किसी गांव में अगर सरकारी जमीन पर उचित जल स्रोत नहीं मिल पा रहा हो तो निजी जमीन पर भी जल स्रोत का चयन एवं निर्माण कराया जा सकता है।
- यदि जल स्रोत का निर्माण निजी जमीन पर किया जा रहा है तो ग्राम की ओम बैठक सुलाकर जमीन के मालिक या अनमुति या सहमति / दान पत्र दोनों पक्षों के दो-तीन गवाहों के हस्ताक्षर के साथ ही इन दोनों पक्षों के विवाद को नियमित रूप से खाली रखना चाहिए।
- जल स्रोत के उपयोग से पहले जल की गुणवत्ता जीव की जाती है एवं गुणवत्ता जीव रिपोर्ट के बाद इनीशियर की सलाह पर जल वितरण के लिए स्रोत को राष्ट्रिय में पाइपलाइन से जोड़ा जाता है।
- स्रोतों की राष्ट्रिय में पाइपलाइन से या सम्प के साथ जालने के बाद टेलिंग कर देना होगा कि कहीं लीकेज तो नहीं है। लीकेज हीन तो स्थिति में तज्ज्ञाल सुधार करना होगा ताकि पानी की बर्बादी न हो, पानी के फैलने के कारण गंदगी न हो और पाइपलाइन के अंदर किसी तरफ की गंदगी न जा पाये।

2. पम्प के प्रकार एवं क्षमता

पम्प एक मैकेनिकल उपकरण है जो भूमिगत या सतही पानी उठाने के लिए एवं जल स्रोत से पानी को एक जलाशय से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उपयोग किये जाते हैं। पम्प के हासिलावर (एचपी) पर नियम छारता है कि ज्ञा किसानी गहराई से पानी खींच सकता है एवं किसान दूरी तक भेज सकता है।

साधारणतः पम्प विभिन्न द्वारा संचालित किये जाते हैं, जिनमें अधिक हासिलावर का पम्प होता सिक्की का सर्वोच्च

तागत उतनी अधिक होगी।

विभिन्न हर्सपावर के पम्प एवं उनकी क्षमताएं

पम्प	पम्प क्षमता	कितने फेट के विजली कनेक्शन की आवश्यकता	पम्प के उपयोग के लिये पाइप का आकार	कितनी गहराई से चानी उठाने की क्षमता
	1HP	सिंगल फेट	हेल्परपम्प में लग सकता है (Dia upto 4")	300 फिट तक
	2HP	सिंगल फेट	हेल्परपम्प में लग सकता है (Dia upto 4")	300 फिट तक
	5.0/7.5HP	तीन फेट	6" (इन्च) से अधिक	500 फिट तक
	10 HP	तीन फेट	6" (इन्च) से अधिक	500 फिट से अधिक
	12.5 HP	तीन फेट	6" (इन्च) से अधिक	500 फिट से अधिक

3. राइजिंग मेन प्राइवेटाइन

- राइजिंग मेन प्राइवेटाइन उस प्राइपर्टाइन को कहा जाता है जो बड़े स्रोत से पानी की वृद्धिकरण कांट सम्पर्या जहाँ पानी संग्रह किया जा रहा है वहाँ तक तो जाने का काम करती है।
- राइजिंग प्राइवेटाइन विछाते समय इस बात की विशेष निगरानी करनी होगी कि यह कम से कम तीन फिट गहराई में जाती जाये।
- राइजिंग प्राइवेटाइन किसी भी जल जमाव क्षेत्र के पास से या नाली के साथ नहीं बिछायी जानी चाहिए।
- योजना हैप्ट अधिकार के प्राइवेटाइन के समय जांच कर देना चाहिये कि कहाँ राइजिंग प्राइवेटाइन में किसी प्रकार की तीकेब तो नहीं है।
- राइजिंग प्राइवेटाइन के लिये 110 मिमी एच.डी.पी. है प्रदूष का उपयोग किया जाता है। (सन्दर्भ: डॉपीआर)

4. पम्प हाउस/ स्टार्टर प्राइन्ट

पम्प हाउस : पम्प हाउस विभिन्न स्रोतों को संग्रहनीय रूप से वास्तविक रूप से संचयन/ बर्त है, जहाँ से मुख्य जोड़ से भर तक पानी पहुंचाने का काम किया जाता है।



स्टार्टर प्राइन्ट : विभिन्न विवरीय स्रोतों से संचालित करता है, जैसे - संग्रह यम, वर्षायमान ग्रीनर आदि।



5. जल वितरण सम्बन्धी

- स्पॉट सोर्स (सोर्स से दूर तक सीधी सप्लाई)
- स्पॉट सोर्स (सोर्स के पास छोटा टैक बनाकर सप्लाई)
- समय (जनसंख्या के आधार पर)
- ओवर हेड टैक (जनसंख्या के आधार पर)



सोत से सीधा घरों तक सप्लाई

कम आवादी वाले गांव या मुख्य गांव से दूर दराज छोटे टोलों में (दर्तमान में 50 से 100 घर की आवादी) जल स्रोत से पम्प द्वारा पानी लिफ्ट कर सीधे वितरण पाइपलाइन में भेजा जाता है और वितरण पाइपलाइन से दिये गए नए कनेक्शन के माध्यम से पानी घरों में पहुंचता है।

सोत से छोटे सामुदायिक स्टार्टर टैक के द्वारा सप्लाई

- कम आवादी वाले दूर दराज के छोटे टोलों में जल सोत के पास एक सामुदायिक टैकी लगाकर पानी की सप्लाई की जाती है।
- सोत के पास ही पम्प को चालू करने का स्टार्टर पाइप होता है। संविधित टोला का कोई जिम्मेदार व्यक्ति पास पैदायत और जल सम्भाल द्वारा नियंत्रित समर्थन सार पम्प को चलाकर टैकी को भरता है और टोल टैकी से अपनी जरूरत अनुसार पानी भरकर ऐसे जाते हैं।



समय से घरों तक सप्लाई

स्रोत से राइफिंग में पाइपलाइन द्वारा समय तक पानी लगाकर शुद्धिकरण के बाद वितरण पाइपलाइन के माध्यम से घरों में पानी की सप्लाई की जाती है।

- समय साधारणतः गोलाकार के अनुमा कमर होता है।
- समय के नाइज/कमता का नियांटण गांव की दर्तमान के साथ-साथ लगभग 25 घर की अनुमानित जनसंख्या की की अनुकूलता का अंकाग्रन्थ कार किया जाता है।
- कम आवादी वाले गांव में समय से भी पानी की भीड़ी सप्लाई की जाती है।
- आवादी की जरूरत के आधार पर विभिन्न कमता वाले समय में दिन में दो या तीन बार घरों में

पानी उपलब्ध कराया जाता है।

- सम्प में पानी का शुद्धिकरण कर सौचा घरों में नह कनेक्शन के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाती है।
- साल में कम से कम दो बार समा की साफ-सफाई जरूरी है।
- सम्प की सफाई से पहले गांव में सूचना दी जानी चाहिए ताकि लोग जलसंकट का पानी भर कर रख सकें।

ओवरहेड टैक से घरों तक सप्लाई

खाल से राइजिंग में पाइपलाइन द्वारा सम्प तक पानी लाया जाता है। गम्म में छोटीनेशम फिल्टर द्वारा पानी का शुद्धिकरण कर ओवरहेड टैक में भरा जाता है। पिर नियारित समयनुसार वितरण पाइपलाइन द्वारा घरों ने पानी की सप्लाई की जाती है।




- ओवरहेड टैक का साइज/क्षमता का नियारित गोष की वर्तमान के साध-साध आवाजी 25 वर्ष की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि के आधार पर किया जाता है।
- ओवरहेड टैक गांव में ऐसी जगह पर स्थापित किया जाता है जहां से सभी मोहल्ली/टोली एवं घरों में उचित प्रेशर के साथ जल आपूर्ति दी जा सके।
- जलसंकट के अनुसार ओवरहेड टैक को दिन में दो या तीन बार भर कर जल आपूर्ति की जाती है।
- ओवरहेड टैक में पानी के ओवर फ्लो को सीखने के लिए पम्प हाउस में ऑटोमोशन बीटर लगाया जाता है।
- ऑटोमोशन बीटर से पानी की आपूर्ति की मात्रा का आकर्तन भी किया जाता है एवं इसकी नियारानी जल सप्लाई में विस्तरता बढ़ा रहती है।
- ओवरहेड टैक की कम से कम साल में दो बार साफ-सफाई अवक्ष की जानी चाहिए।
- ओवरहेड टैक की साफ-सफाई के पहले गांव में सूचना दी जानी चाहिए ताकि लोग जलसंकट का पानी भर कर रख सकें।

6. यास वितरण या डिस्ट्रिब्युशन पाइपलाइन

- डिस्ट्रिब्युशन पाइपलाइन सोत से सीधा घरों तक सम्प या ओवरहेड टैक से पर्याप्त पानी पहुँचाने के लिए

विद्युती जाती है।

- सभी घरों में उचित प्रेशर से पानी पहुंचे इसके लिये घरों की संरचना के आधार पर जगह-जगह ऐक वाल्व लगाये जाते हैं।
- वितरण पाइपलाइन को जमीन के अंदर 3 फिट गहरी नाली खोद कर बिछाया जाना चाहिए।
- वितरण पाइपलाइन को किसी भी स्थिति में जल बमाव वाले श्रेष्ठ के पास से या नालियों के साथ नहीं बिछाया जाना चाहिए।
- वितरण पाइपलाइन में केरलत लगाकर घरों में नल कनेक्शन दिये जाने का प्रारूप है।
- सभी घरों में पानी उपलब्ध कराने के लिये इस बात का ध्यान रखना होगा कि वितरण पाइपलाइन गाँव की सभी मालियों में अनिम छोटे के घरों तक बिछाई गई हो ताकि हर घर में नल कनेक्शन दिया जा सके।
- वितरण पाइपलाइन के लिये 90 मिमी की यीदीयों पात्र का उपयोग किया जाता है। (सन्दर्भ: हीपीभार)



7. चेक वाल्व

- सभी घरों में उचित प्रेशर से पानी पहुंचे इसके लिये उचित दूरी पर मानक को ध्यान में रखते हुए ऐक वाल्व लगाये जाने का प्रारूप है।
- ऐक वाल्व लगाने के लिए नियोगित मानक अनुसार एक दोम्बर बनाया जाता है।
- अगर डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन समतल जमीन पर बिछाई जा रही है तो एक चेक वाल्व से दूसरे चेक वाल्व के बीच 30 से 35 घरों में उचित प्रेशर का साप पानी उपलब्ध करायेगा।
- अगर डिस्ट्रिब्यूशन पाइपलाइन नीचे से ऊपर जा रही है तो दृतान के अनुकूल एक ऐक वाल्व से उचाई परों में कनेक्शन होने पर उचित प्रेशर के साप पानी पहुंचाने में दिक्कत होगी।
- ऐक वाल्व जल बमाव बाही जगह या दृतानी श्रेष्ठ जहां बरसात का पानी अन्दर जाने की सम्भावना हो या नाली के पास या साथ में नहीं बनाना चाहिए।



8. फेरल

- डिस्ट्रिब्युशन पाइपलाइन से घरी में नल कनेक्शन देने के लिये 1.5 इन्च मत्तक के योतत के फेरल तमाचे जाने का प्रावधान है।
- साथ ही इस प्रकार के फेरल लगाने का प्रावधान है कि यांट कोई व्यक्ति अधिक पानी लेने के लिये अपने नल कनेक्शन में भोटर लगाता है तो उस घर की पानी संपत्ति ऑटोमेटिक बन्द हो जाए ताकि अच्छे घरों में बिना रक्काबट के प्रेषण के साथ पानी उपलब्ध हो सके।



9. घर के अन्दर नल कनेक्शन

- डिस्ट्रिब्युशन पाइपलाइन सभी गली/मोहत्तों में बिल्डिंग जाती है ताकि हर घर के अन्दर आसानी से नल कनेक्शन दिया जा सके।
- घरेलू कनेक्शन तभी पूर्ण माना जाता है जब घर के अन्दर सही स्थान पर घर कालों की सहभाति से स्टेप्ह पोस्ट के साथ टोटी लगायी गई हो और सही प्रेषण के साथ पानी आता हो।

10. स्टेप्ह पोस्ट एवं टोटी

- स्टेप्ह पोस्ट ऐसे स्थान पर हो जहां पानी भरने में परिवार को किसी प्रकार की असुविधा न ढूँढ़।
- पानी लाई न खड़े और दूसरे घरों में सही प्रेषण के साथ पानी पहुंच सके इसके लिये नए कनेक्शन में टोटी लगाना बहुत जरूरी है। डिस्ट्रिब्युशन पाइपलाइन से घर में दिये जाने वाले कनेक्शन हेतु 20 मिमी के पीढ़ीसी पाइप का उपयोग किया जाता है। (अन्दर्भी डीपीआर)



द्वितीय दिवस, सत्र-3 : जल सुरक्षा योजना

सत्र के उद्देश्य

- जल सुरक्षा क्या है एवं क्यों जरूरी है?
- जल बजट क्या है? कैसे बनाते हैं? इस पर समझ लिंकेंसित करना।
- गांव की जल सुरक्षा योजना कैसे बनाये पर समझ लिंकेंसित करना।
- खोल स्थापित संबंधी गतिविधियों को कार्य योजना में शामिल करने पर समझ लिंकेंसित करना।

समयांकिता : 2 घण्टा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, कैस टंडी एवं पीपीटी।

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र को निम्नानुसार 3 उप सत्रों और समय में बांटा गया है -

पहला उप सत्र : जल सुरक्षा योजना एवं गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना - 45 मिनिट

दूसरा उप सत्र : संसाधन भान्डिंग एवं गांव में जल की उपलब्धता की गणना - 45 मिनिट

तीसरा उप सत्र : याम की अलापूर्ति एवं मान के अनुसार जल जल सुरक्षा योजना बनाना - 30 मिनिट

पहला सत्र - जल सुरक्षा योजना एवं गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना

सत्र संचालन प्रक्रिया

प्रतिभागियों से प्रश्न करें- जल सुरक्षा योजना क्या होती है? प्रतिभागियों के जवाबों को नोट करें। दिये गये जवाबों में से जल सुरक्षा योजना को स्पष्ट करने काले जवाबों को ढोहराये एवं पीपीटी (दूसरा दिन, सत्र-3, जल सुरक्षा योजना) के माध्यम से जल सुरक्षा योजना को स्पष्ट करें।

जल ही जीवन है। गांव में किसे जाने वाले विभिन्न कामों के लिये जल की उपलब्धता हेतु बनाई जले गए संरचनाओं उनकी सुरक्षा एवं स्थापित के लिये तैयार की जाने वाली योजना को जल सुरक्षा योजना कहा जाता है। इस योजना में भी जल जल स्रोतों में उपलब्ध जल को सुरक्षित रखने एवं उस भर की पानी की उत्तरता को पूरा करने के लिये की जाने वाली गतिविधियों का संग्रह-जीवा छोला है।

जल सुरक्षा योजना के तीन प्रमुख घटक होते हैं

- गांव में जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना।
- गांव में उपलब्ध जल की मात्रा की गणना।
- आवश्यकता और उपलब्धता के बीच के अंतर का ओकलन कर, अंतर को पाठने के लिए जल संरक्षण एवं जल संवर्धन की गतिविधियां लघु करना।

इस सब में हम गांव के जल की वार्षिक आवश्यकता की गणना करना सीखेंगे। इसके लिए प्रतिभागियों को दार से पांच समझौतों में बाटे। समझौतों को अलग-अलग फैलाये एवं केस स्टडी (वैश्वीपुर ग्राम) वितरित कर, व्याप से पढ़ने के लिए लाएं।

गांव में मूल्यातः तीन गतिविधियों के लिए पानी की आवश्यकता होती है - घरेलु उपयोग, पर्यावरण के लिए एवं कृषि कार्य के लिए। प्रतिभागियों को केस स्टडी में दी गई कुल गांव की कुल जनसंख्या, पर्यावरण (प्रजाति वार) की संख्या एवं खेती (फसल वार) का रकमा निकालने के लिए लाएं।

घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना -

व्यक्तिगत / घरेलु कार्य के लिए एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 55 लीटर पानी लगता है। घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्न प्रकार से करें -

क्र.	जनसंख्या	प्रतिदिन पानी की आवश्यकता (लीटर)	पानी की वार्षिक आवश्यकता (2x3x4)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	1500	55	3,01,12,500	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आवश्यकता ओकलित है।

(नोट - जनसंख्या वैश्वीपुर ग्राम (केस स्टडी) की तो गई है।)

$$\text{गांव की कुल जनसंख्या (1500) } \times 55 \times 365 = 3,01,12,500$$

वैश्वीपुर गांव में कुल 1500 लोग रहते हैं। पहले 1500 को 55 से गुणा करें (1500×55) जिससे गांव में एक दिन में घरेलु उपयोग के लिए कितने जल की आवश्यकता है निकाल जाएगी (82,500 लीटर)। वार्षिक जनसंख्या के लिए इसे (82,500) को 365 (1 वर्ष में कुल दिन) से गुणा करें ($82,500 \times 365$) जिससे मात्र में घरेलु उपयोग के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता निकाल जाएगी (3,01,12,500)।

पशुधन के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना -

अलग-अलग पशुओं को प्रतिदिन अलग-अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बड़े पशुओं (गाय / बैल / भेड़) को प्रतिदिन 70 लीटर, छोटे पशुओं (भेड़ / बकरी) को प्रतिदिन 20 लीटर वह मुर्गा / मुर्गी को प्रतिदिन लगभग 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गाँध में पशुधन के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना निम्न प्रकार से करें -

क्र.	पशुधन का प्रकार	कुल संख्या	पानी की आवश्यकता प्रतिदिन प्रति पशु (लीटर)	पशुओं के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता (3x4x365)
1	2	3	4	5
1	बड़े पशु (गाय / बैल / भेड़)	450	70	1,14,97,500 लीटर
2	छोटे पशु (भेड़ / बकरी)	160	20	11,68,000 लीटर
3	मुर्गा / मुर्गी	100	02	73,000 लीटर
पशुधन के लिए कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता				1,27,38,500 लीटर

नोट - पशुधन की संख्या बंशीपुर गांव (केस दर्शी) की ही है।

पशु की संख्या \times (70/20/2 लीटर- पशु के प्रकार के हिसाब से) \times 365 = 1,27,38,500 लीटर

बंशीपुर गांव में पशुधन के लिए वार्षिक पानी की आवश्यकता :

बड़े पशुओं के लिए - बड़े पशु (गाय / बैल / भेड़) की संख्या (450) \times 70 \times 365 = 1,14,97,500 लीटर

छोटे पशुओं के लिए - छोटे पशु (भेड़ / बकरी) की संख्या (160) \times 20 \times 365 = 11,68,000 लीटर

मुर्गा / मुर्गी के लिए - मुर्गा / मुर्गी की संख्या (100) \times 2 \times 365 = 73,000 लीटर

(उपर के तीनों प्रकार को जोड़कर पशुधन के लिए कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता निकाल जाएगी -
 $1,14,97,500 + 11,68,000 + 73,000 = 1,27,38,500$ लीटर)

कृषि के लिए पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना :

अलग-अलग कामों को प्रति एकान्त अलग-अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए लगभग 8 लाख लीटर प्रति एकान्त एवं चमा के लिए 3 लाख लीटर प्रति एकान्त की आवश्यकता होती है। गाँध में कृषि के लिए

पानी की वार्षिक आवश्यकता की मात्रा मिश्र प्रकार से करे -

क्र.	फसल की किस्म (रबी)	बोया जाने वाला कुल रकमा (एकड़)	सिंचाई हेतु कुल पानी की दर (लीटर प्रति एकड़)	कुल पानी की आवश्यकता (लीटर) (3x5)
1	2	3	4	5
1	गेहूँ	800	8,00,000	64,00,00,000 लीटर
2	चने	800	3,00,000	24,00,00,000 लीटर
कृषि कार्य के लिए आवश्यक पानी				88,00,00,000 लीटर

नोट - गेहूँ एवं चना का रकमा कृषीदुर्घाटन (कौश संउत्तर) से ली गई है। अभी फसलों की पानी की आवश्यकता ज्ञात नहीं होती है।

फसल का रकमा \times 8 लाख/ 3 लाख (फसल के प्रकार अनुसार) = 88 करोड़ लीटर

गेहूँ के लिए - फसल का रकमा [800 एकड़] \times 8,00,000 = 64,00,00,000

चने के लिए - फसल का रकमा (800 एकड़) \times 3,00,000 = 24,00,00,000

(ऊपर के दोनों फसलों को जोड़ कर कृषि के लिए कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता निकल जाएगी -
 $64,00,00,000 + 24,00,00,000 = 88,00,00,000$ लीटर)

धैरेन्ट उपयोग, पशुधन एवं कृषि कार्य के लिए आवश्यक पानी को जोड़कर गौड़ की कुल पानी की आवश्यकता निकाल जाएगी ($3,01,12,500 + 1,27,38,500 + 88,00,00,000 = 92,28,51,000$)।

क्र.	पानी की आवश्यकता का प्रकार	कुल वार्षिक पानी की आवश्यकता
1	धैरेन्ट उपयोग	3,01,12,500
2	पशुधन	1,27,38,500
3	कृषि कार्य	88,00,00,000
शाव में पानी की कुल आवश्यकता		92,28,51,000

दंशीपुर ग्राम को पूरे साल में लगभग 92 करोड़ 28 लाख 51 हजार लीटर पानी की आवश्यकता है।

तिपाणी - प्रतिभागियों की आवश्यकता का अंकरान प्रतिभागियों से भी साथ में कराये और हर एक घटक के हिसाब से पानी की वार्षिक आवश्यकता की गणना चोर्ट या चार्ट पेर पर लिखते जायें। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी समूह की गणना एक सामान आये।

दूसरा सब - संसाधन मानचित्र एवं गांव में जल की उपलब्धता की गणना

सब संचारन प्रक्रिया

इस सब में भी हम यहाँ सब भी बनाये गये समूहों में ही काम करेंगे। प्रतिभागियों से प्रश्न करे। संसाधन मानचित्र क्या होता है? प्रतिभागियों के जलालों को नोट करे। दिये गये जलालों में से संसाधन मानचित्र को स्पष्ट करने वाले जलालों को दोहराये। एवं समूह को दंशीपुर ग्राम के बारे में पढ़कर चार्ट पेर पर गांव का संसाधन मानचित्र बनाने के लिए कहें।

संसाधन मानचित्र में गांव के सभी संसाधनों (झंगल, झोत, तालाब, हैडपर, कुआँ, नदी, नदा, पंचायत, स्कूल और नवालाई, आदि) गांव के मानचित्र पर दर्शाया जाता है। संसाधन मानचित्र गांव में जल की उपलब्धता की गणना करने और जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों की योजना बनाने में सहायक होता है।

संसाधन मानक्रिया बनाने के बाद हम गांव में जल की वार्षिक उपलब्धता की गणना करना सीखेंगे। गांव में मुख्यतः दो जलाल से यानी आता है - वर्षा जल एवं गांव में मौजूद समस्त खोलों में उपलब्ध पानी, जिसकी जानकारी को स्टडी में दी गई है। केस स्टडी से प्रतिभागियों को गांव का कुल रक्कम, औसत वर्षा एवं सभी खोलों की जानकारी (संख्या, लम्बाई, ऊँचाई, चौड़ाई / विस्ता) निकालने के लिये कहें।

गांव में वर्षा से उपलब्ध जल की गणना

चरसात में गिरने वाला पानी जल का मुख्य स्रोत होता है। लेकिन औसत वर्षा जल का मात्र 6% जल ही जमीन के अद्वार पाता है (मिट्टी के प्रकार के अनुसार यह बदल सकता है)। गांव में वर्षा से उपलब्ध पानी की गणना निम्न प्रकार से करें -

$$\text{गांव का कुल क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) } \times \text{औसत वर्षा (एन मीटर)} \times (6/100) \times 1000 = 37,39,42,800 \text{ लीटर}$$

(क्षेत्रफल को एकड़ से मीटर में लाने के लिए एकड़ से 4047 से गुणा कर दें। क्षेत्रफल का एकड़ 37,39,42,800 \times 4047 = 89,03,400 वर्ग मीटर)

क्र.	विवरण	ग्राम का रक्कड़ा (वर्ग मीटर) - एकड़ x 4047	गांव में औसत वर्षा (मीटर)	जमीन में जाने वाला पानी	वर्षा से उपलब्ध पानी (लीटर) (३x४x५)x1000
1	2	3	4	5	6
1	वर्षा से उपलब्ध पानी	89.03.400	0.7	0.6	37.39.42.800

(नोट - यहाँ वर्षा जल की गावन्त दक्षिणार्द्ध (केस लंड) के हिसाब से की गई है। आप अपने जिले की औसत वर्षा ले सकते हैं। वर्षा जल का किनारा प्रतिशत पानी गाव में रह याता है। यह भूमि की संरचना पर निर्भर करता है। वृश्चिकपुर ग्राम का रक्कड़ा 89.03.400 वर्ग मीटर है। इसमें हम गांव की औसत वर्षा (0.7) का गुण करेंगे किंतु उत्तर वर्षा 0.06 से गुणा करेंगे तो हमें वर्षा से प्राप्त जल घन मीटर में मिल जायेगा। वर्षा जो प्राप्त जल को लीटर में बात करते हैं तिए हम उत्तर को 1000 से गुणा करेंगे।)

$$(8903400 \times 0.7 \times 0.06 \times 1000 = 37.39.42.800 \text{ लीटर})$$

ग्राम के समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी की गणना

गाव में मूल्यांकित हो प्रकार की संरचना होती है - गोल (कुआँ) एवं खोलाएँ (तालाब / डैम इत्यादि) जिनमें जल भण्डारण की गणना निम्न प्रकार से की जाती है -

क्र.	स्रोत का प्रकार	अंख्या	साइज	कुल भण्डारण क्षमता (लीटर) (३x४x१०००)
1	2	3	4	5
1	कुआँ	18	$3.14 \times (\text{चूंका का विज्ञा} \times \text{चूंका का विज्ञा}) \times$ चूंका की गहराई (मीटर में)	27.12.960
2	तालाब	2	लम्बाई x चौड़ाई x ऊंचाई (मीटर में)	7.20.000
3	डैम	1	लम्बाई x चौड़ाई x ऊंचाई (मीटर में)	60.00.000
ग्राम सभर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी				94.32.960

(नोट - ग्राम की सभर संख्ये के तिए सभी कुआँ, तालाब / डैम की विज्ञा, लम्बाई/चौड़ाई/ऊंचाई ली गई है। एक सभर की क्षमता ली गई है।)

कुआँ - कुएँ की संख्या \times 3.14 \times (कुएँ का विज्या \times कुएँ का विज्या) \times कुएँ की गहराई \times 1000

बंशीपुर ग्राम में कुल 18 कुएँ हैं जिनकी औसत विज्या 2 मीटर है और औसत गहराई 12 मीटर है। गांव में कुल कुएँ की भण्डारण क्षमता इस प्रकार होगी -

$$18 \times 3.14 \times 2 \times 2 \times 12 \times 1000 = 27,12,960 \text{ लीटर}$$

डेम / तालाब - डेम / तालाब की संख्या \times लम्बाई \times चौड़ाई \times ऊचाई (मीटर में) \times 1000

बंशीपुर ग्राम में कुल 2 तालाब हैं जिनकी औसत लम्बाई 10 मीटर, औसत चौड़ाई 12 मीटर औसत ऊचाई 3 मीटर है। गांव में कुल तालाब की भण्डारण क्षमता इस प्रकार होगी -

$$2 \times 10 \times 12 \times 3 \times 1000 = 7,20,000 \text{ लीटर}$$

बंशीपुर ग्राम में 1 डेम भी है जिसकी लम्बाई 600 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊचाई 1 मीटर है। गांव में डेम की भण्डारण क्षमता इस प्रकार होगी -

$$1 \times 600 \times 10 \times 1 \times 1000 = 60,00,000 \text{ लीटर}$$

(उपर के विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध पानी को जोड़ कर गांव में ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी की गणना की जा सकती है - $27,12,960 + 7,20,000 + 60,00,000 = 94,32,960 \text{ लीटर}$)

वर्षा जल एवं ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी को जोड़कर गांव में कुल पानी की उपलब्धता निकल जाएगी ($37,39,42,800 + 94,32,960 = 38,33,75,760$)।

क्र.	पानी की उपलब्धता की किसी	गांव में कुल पानी की उपलब्धता (लीटर)
1	तथा से उपलब्ध पानी	37,39,42,800
2	ग्राम स्तर पर समस्त स्रोतों से उपलब्ध पानी	94,32,960
गांव में कुल पानी की उपलब्धता		38,33,75,760

बंशीपुर ग्राम में पूरे वर्ष में लगभग 38 करोड़ 33 लाख 75 हजार लीटर पानी उपलब्ध है।

तीसरा सत्र - ग्राम की जलापूर्ति एवं मांग के अनुसार जल सुरक्षा योजना

सत्र संचालन प्रक्रिया

पहले के दोनों सत्रों में हमने गांव के वार्षिक जल की कुल आवश्यकता एवं विभिन्न स्रोतों के माध्यम से गांव से उपलब्ध जल की मात्रा को ज्ञात करना सीखा। इस सत्र में हम गांव में जल की आवश्यकता एवं गांव में कुल उपलब्ध जल में अंतर निकालना सीखेंगे साथ ही इस अंतर को छाप करने के लिए क्या प्रयास किये जा सकते हैं जिससे गांव में सभी गतिविधियों के लिए पर्याप्त मात्रा में यानी उपलब्ध हो सके इस पर चर्चा करेंगे।

गांव में जल की कुल वार्षिक आवश्यकता तथा गांव में उपलब्ध कुल जल में अंतर

पहले के सत्रों में ज्ञात की गई गांव में वार्षिक जल की कुल आवश्यकता में से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से गांव में उपलब्ध जल की मात्रा को घटाकर यह अंतर जाना जा सकता है।

गांव की कुल यानी की आवश्यकता (लीटर)	गांव में कुल यानी की उपलब्धता (लीटर)	गांव की कुल जल की वार्षिक आवश्यकता तथा गांव में कुल जल उपलब्धता में अंतर (लीटर)
1	2	3 = (1-2)
92,28,51,000	38,33,75,760	53,94,75,240

गांव के वार्षिक जल की कुल आवश्यकता (92,28,51,000) - में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से गांव में उपलब्ध जल की मात्रा (38,33,75,760) = 53,94,75,240

वशीपुर ग्राम को चर्तमान परिस्थिति के हिसाब से प्रतिवर्ष लगभग 53 करोड़ 94 लाख 75 हजार लीटर अतिरिक्त जल की आवश्यकता है।

प्रतिभागियों को कोन स्टडी में वशीपुर गांव के बारे में मिली जानकारी को अनुसार गांव में जल सुरक्षा एवं सावर्धन के लिए क्या-क्या गतिविधियों की जा सकती है समझ लाए पूछे एवं जवाबों को चाह ऐपर या बोर्ड पर लिखते जाएं। सभी को जवाब आ जाने के बाद एक भार इस बात की जांच करें कि कोई गतिविधि लूट से नहीं रही है। अगर कोई महत्वपूर्ण गतिविधि लूट रही हो तो उसे जोड़ भोर गतिविधि तार बद्द करें कि किस गतिविधि को लिया योजना के अंतर्गत पूरा किया जा सकता है।

नीचे दी गई योजनाएँ और उनके तहत किये जा सकने वाले कार्यों की जानकारी प्रतिभागियों के साथ शाझा करें।

क्र.	संभादित गतिविधियाँ	योजना का नाम
1	गोप में उपलब्ध कृतिकर्ता / निश्चिह्न जल स्रोतों की साकार्ह मरम्मत एवं गहरीकरण	मनरेगा / 15वीं वित्त आयोग
2	नए जल स्रोतों का निर्माण (तालाब, कुर्जी, डैम, इत्यादि)	मनरेगा / 15वीं वित्त आयोग / प्रधान मंत्री कृषि सिवाई योजना
3	वर्षा जल संग्रहण के लिए संरचनाएँ	मनरेगा / 15वीं वित्त आयोग
4	लोल तालाब, मेट्र संधान	मनरेगा / कृषि विभाग की योजनाएँ (दलशाम लोलाब)
5	धोर रिचार्ज, रिचार्ज शास्त्र	मनरेगा / 15वीं वित्त आयोग / अटल भूजल योजना (सिमित जगहों पर)
6	शोक्ता गढ़ा निर्माण	सरकारी भारत मिशन / मनरेगा / 15वीं वित्त आयोग
7	कंट्रू ट्रैक	मनरेगा
8	पौधा रोपण	मनरेगा / 15वीं वित्त आयोग

सत्र समीक्षा

- इस बात पर जोर दो कि अस्थी जल सुरक्षा योजना बना लेने और गतिविधियों की शिखित कर लेने सत्र से बाहर नहीं छोड़ी जानी, इसके लिये जो भी गतिविधिया निकालकर आयी है, उन्हें पर्याप्त के साथ बात कर जीपीडीपी (प्राम पर्याप्त विकास योजना) में जुड़ावा दी जाए। ल्योंके जब तक जीपीडीपी से गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाएगा, उनका क्रियान्वयन करना या पूरा करना संभव नहीं है।
- जो भी गतिविधिया निकाल कर आती है, जल्दी नहीं है कि सभी गतिविधियों के लिये बाहुप काठ ती अवश्यकता हो। कई गतिविधियों सामुदायिक अम द्वारा अप्रदान और सहयोग से भी की जा सकती है। उदाहरण के लिये किसी नाते पर बरसात के बाद बोरी बोधान बनाना है ताकि तमांग समय तक उसमें यानी उपलब्ध रहे। इस काम जासकर उन लोगों के सहयोग से जिन्हें इसका प्राप्ति मिलने वाला है उनके अनुदान के माध्यम से उसमानी जो पूरा किया जा सकता है।

- सिर्फ नई संरचनाएँ बनाते से याम में जल की आवश्यकता इवं उपलब्धता के कीच का और कम नहीं होगा। सभी ग्रामवासियों द्वारा उपलब्ध जल का जिम्मेदारी पूर्व उपयोग भी बहुत आवश्यक है। प्रतिभागियों से पूछें जल की व्यवहारी शोकने के लिये क्या क्या उपयोग किये जा सकते हैं। प्रतिभागियों को जलबों को चार्ट पर पर नोट करें और उनसे पूछें कि यह कैसे सम्भव होगा और कौन इसकी जिम्मेदारी है। सभी के जकाब-आज जाने के बाद देख लें कि कहीं कोई गतिरिक्षित कूट तो नहीं गई है, अगर कूट गई है तो उसे जोड़ें तथा गतिरिक्षित बार चार्चा करें।

उपलब्ध पानी को जिम्मेदारी से उपयोग करने के तरीके



पानी का नहाने का तरीका है।
जिम्मेदारी के लिए जल के बचाव का एक बहुत खूबसूरत तरीका यह है।



पानी का नहाने के लिए जल का बचाव करने का एक खूबसूरत तरीका यह है।



पानी का नहाने का तरीका है।
जिम्मेदारी के लिए जल के बचाव का एक बहुत खूबसूरत तरीका है।



पानी के बचाव के लिए जल के लिए जल के बचाव का एक बहुत खूबसूरत तरीका है। यह जल के बचाव का एक बहुत खूबसूरत तरीका है।



पानी का नहाने का तरीका है।
जिम्मेदारी के लिए जल के बचाव का एक बहुत खूबसूरत तरीका है।




पानी के बचाव के लिए जल के लिए जल के बचाव का एक बहुत खूबसूरत तरीका है।



पानी का नहाने का तरीका है।
जिम्मेदारी के लिए जल के बचाव का एक बहुत खूबसूरत तरीका है।

पानी के बचाव के लिए जल के लिए जल के बचाव का एक बहुत खूबसूरत तरीका है।



दूसरा दिवस, सत्र-4 : नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

सत्र के उद्देश्य

- जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न संस्थाओं की यहां पर और उनकी भूमिका का विस्तृत वर्णन।
- योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं निगरानी में विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं पर समझ बनाना।

समयावधि : 3 घण्टे

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, स्केच पेन व पाती चित्रण हेतु विभिन्न साइज के गोलाकार कार्ड और सब से ज़्यादा पीपीटी।

अन्त संचालन की प्रक्रिया

इस सत्र को निम्नानुसार 3 उप सत्रों और समय में बाटा गया है -

पहला उप सत्र : चपाती चित्रण के माध्यम से जल जीवन मिशन में विभिन्न संस्थाओं के महत्व पर समझ।

दूसरा उप सत्र : योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं संचालन व रखरखाव में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका।

उप सत्र - 1 : चपाती चित्रण के माध्यम से जल जीवन मिशन में विभिन्न संस्थाओं के महत्व पर समझ

सत्र संचालन

- प्रतिभागियों से प्रश्न करें - याम स्तर से लेकर अंतीक स्तर तक के लोन-कौन सी संस्थाएं संगठन हैं, जिनकी भागीदारी नए जल योजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- प्रतिभागियों द्वारा बताये गए संस्थाओं के नामों की चार्ट पेपर या कार्ड पर दर्ज करते जाएं।
- अब प्रतिभागियों को प्रारंभिक स्तर के बीच गोल घेरे में बैठने या खड़ा होने के लिए कहें।
- प्रतिभागियों में से 6-7 प्रतिभागियों को गोल घेरे के बीच में बुलाए और उन्हें लोट-बहु विभिन्न आकार के अलग-अलग रंग के गोलाकार कार्ड प्रदान करे तथा दोनों दोनों मार्फत या स्केच पेन की मदद से नाम तीरी करने के लिए कहें।
- अब एक बड़े आकार के कार्ड पर जल जीवन मिशन विस्तृत बनाए गए गोल घेरे के केन्द्र से रखने के लिए कहें।

- प्रतिभागियों से पूछें कि जिन संस्थाओं को आपने विनिहित किया है क्या सभी की भूमिका एक समान है या कम-ज्यादा? प्रतिभागियों के जवाबों को सुनें और बतायें कि जिस संस्था की भूमिका अधिक है उसकी चपाती बही होगी। अथवा बहु कार्ड पर उसका नाम लिखा जायेगा, जिसकी भूमिका मध्यम या कम है उसका नाम उसी के अनुरूप मध्यम या लोटे आकार के कार्ड पर लिखा जायेगा। जिस संस्था की भूमिका और महत्व अधिक है उस संस्था के कार्ड को जल योजना मिशन के कार्ड के उतने करीब रखने के लिए कहें। साथ ही इस बात का ध्यान रखने के लिए भी कहें कि क्या वह संस्था गांव के अंदर है या बाहर है। यदि गांव से बाहर है तो गांव की सीमा वाहों गांवों के बाहर उचित दूरी पर रखने के लिए कहें।
- जब प्रतिभागियों का एक समूह इस अभ्यास को पूरा कर ले तो अन्य प्रतिभागियों के समूह को आवश्यित करें। यह समूह पूर्ण समूह द्वारा किए गए चपाती विभाजन का अकलीयन करेगा। यदि इस समूह के सदस्यों को लगता है कि जिसी संस्था के कार्ड को उसके महत्व और प्रभाव के अनुसार उचित स्थान पर नहीं रखा गया है तो आपसा में चर्चा कर उसका स्थान परिवर्तन करेगा। साथ ही यदि किसी संस्था का नाम ध्यान में आता है तो एक कार्ड पर उसका नाम लिखकर उचित स्थान पर रखेंगा। इस प्रक्रिया को 3-4 बार दोहराने से प्रतिभागियों में चपाती विभाजन के माध्यम से नए जल योजना की साक्षरता में कोन सी संस्था का महत्व अधिक, कोन सी संस्था का भूमिका मध्यम या कम है इस पर एक अम महमति बन जुकी होगी। इसके अलावा पहुँच की रैटिंग में कोन सी संस्था गांव के भीतर है जिस तक आसानी से पहुँचा जा सकता है और कोन सी संस्था महत्वपूर्ण है तो किन वह गांव से बाहर है या दूर है इस बात पर भी समझ बन पायेगी।

चपाती विभाजन का एक उदाहरण



उप सत्र – 2 : योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं संचालन व रखरखाव में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

सत्र संचालन प्रक्रिया

पूर्व उप सत्र में हमले जाना कि नत जल योजना की सफलता में कौन-कौन से संस्थाएं प्रमुख हैं और किसकी किसी भूमिका है। इस सत्र में हम इन संस्थाओं की भूमिकाओं के बारे में जानेगे।

इसके लिये सभी प्रतिभागियों को 6 समूहों में बाटे। चर्चा एवं प्रस्तुतीकरण हेतु समूहों को नियमुस्तार विषय प्रदान करे।

समूह-1 : ग्राम पंचायत की भूमिका।

समूह-2 : ग्रामसभा/ समुदाय की भूमिका।

समूह-3 : ग्राम जल एवं सूखकृता समिति की भूमिका।

समूह-4 : स्वयं सहायता समूह/ ग्राम संगठन की भूमिका।

समूह-5 : क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी की भूमिका।

समूह-6 : पीएचटी/ठेकेदार की भूमिका।

समूहों को विषय आवृत्ति करने के बाद चर्चा करने हेतु अलग-अलग स्थान पर बैठने के लिये कहें और समूह चर्चा के लिए समय तय कर अवधार कराये।

- समूह चर्चा के बीच समूहों के बीच बैठें एवं चर्चा को सुनकर आवश्यक मदद करें ताकि चर्चा सही दिशा में हो सके।
- बीच-बीच में समूहों की समय का ध्यान भी दिलाते रहें।
- चर्चा का समय पूरा होने के बाद समूहों को प्रस्तुतीकरण हेतु अनंतित करें।
- एक समूह की प्रस्तुति के बाद अन्य प्रतिभागियों को प्रस्तुतकर्ता समूह से सहाय पूछने या छोड़ा समाधान करने का अवसर दें। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ स्वयं विषय को स्पष्ट करें। इस प्रकार सभी समूहों का एक-एक कार प्रस्तुतीकरण करायें।
- सभी समूहों का प्रस्तुतीकरण पूरा होने के बाद पीपीटी (दूसरा दिन सत्र-2 योजना में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका) का माध्यम से विभिन्न हितभागियों की उन भूमिकाओं को स्पष्ट करें जो समूहों की प्रस्तुतीकरण में नहीं आ पाई हैं और महत्वपूर्ण हैं।

सत्र समेकन

जल जीवन मिशन का केन्द्र समुदाय और विभिन्न संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी है। जलुभव बताते हैं कि समय के साथ कई योजनाएँ बंद हो गई थीं जैसा सोचा गया था वैसी खरी नहीं उतर पाई। विसके कारणों में स्थानीय समुदाय एवं संस्थाओं की अनदेखी प्रमुख रूप से सामने आई।

हर घर तक नल से पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण जल की नियोगित सप्लाई हो इसके लिये गांव की वास्तुकिय जड़ता के मुताबिक योजना बने हुसमें स्थानीय समुदाय एवं साम पंचायत की बड़ी भूमिका है। याम पंचायत की पीरचईडी के तकनीकी अमल से संपर्क बनाना होगा ताकि बनाई गई योजना के तकनीकी मापदंड पूरे हो सकें। विटे से भी संपर्क बनाना होगा ताकि योजना की स्थीकृति एवं राशि समय पर मिल सकें। योजना बनाने के बाद गुणवत्तापूर्ण जधासंरचना का निर्माण हो इसके लिये पंचायत, समिति के साथ-साथ समुदाय द्वारा लगातार निगरानी की आवश्यकता है। यह तभी हो सकता है जब योजना के गुरुभूती दरगतों से समुदाय को साथ दिया जाए।

योजना की कुल लागत राशि का 10 प्रतिसदी या 5 प्रतिसदी भागीदारी भी समुदाय की देनी है इसकी तैयारी स्थानीय टोग ही कर सके हुसके लिये उन्हें लेपार करने की ज़रूरत है। गांव वाली योजना के साथ उन्हें अपनी योजना माने इसके लिये समुदाय की लगातार भागीदार बनाकर उन्हें केन्द्र में रखकर सामिल देना होगा।

योजना बनाने में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में पंचायत के आध क्रियान्वयन संहायता एवं सीकरी बड़ी भूमिका है। एक बार योजना पूर्ण हो जाने के बाद उसके लगातार संचालन एवं समय-समय पर रखरखाव एवं सरमस्त की जिम्मेदारी समुदाय एवं पंचायत को ही लेनी है। अत इसकी तैयारी प्रारंभ से ही करनी होगी ताकि संचालन एवं रखरखाव के लिये अवधारणा राशि समय पर एकत्रित हो सके। गुणवत्तापूर्ण जल सभी को मिले इसके लिये समय-समय पर जल की जांच के साथ धोतु स्तर पर जल तपकार के साथनों एवं प्रक्रिया पर लोगों को जागरूक करना होगा। हुसके लिये याम पंचायत, समिति या जल निगरानी दल की जिम्मेदारी लेनी होगी।

संटर्भ सामनी

जलापूर्ति योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव तथा निगरानी का काम में लिप्त संस्थाओं द्वारा भूमिकाएँ निभाई जानी हैं। विसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन

- ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामसभाओं का आयोजन करकर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जायेगा।

शैक्षणिक खाता खोलना

- ग्राम पंचायत द्वारा नेटर्ल कर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा भी बैंक खाता खोलने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जलापूर्ति योजना निर्माण

- ग्राम पंचायत द्वारा जलापूर्ति योजना निर्माण के मंबेंच में आवश्यक जल जागरूकता कार्य किया जायेगा।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा समुदाय के साथ मिलकर ग्राम की कस्तूरत के अनुसार जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जायेगा।

डिजाइन एवं तकनीकी अनुमोदन

- चनोई-गई जलापूर्ति योजना को ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- अनुमोदित योजना अनुसार पीएचईडी द्वारा डिजाइन तैयार कर ताकत निकाली जायेगी।
- ग्राम पंचायत द्वारा योजना के प्रस्ताव को जिला समिति को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

सामुदायिक अंशदान का संग्रह

- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम की जलापूर्ति योजना के अनुसार लप वी गई कुल समत ला 5 फीसदी या 10 फीसदी राशि अंशदान के रूप में समुदाय से एकत्रित की जायेगी।
- ग्राम पंचायत द्वारा भी सामुदायिक योगदान राशि के एकीकरण में आवश्यक पहल की जायेगी।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संग्रह किये गए सामुदायिक अंशदान राशि को बैंक खाते में जमा कराया जायेगा।

जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन

- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा ग्राम की तैयार जलापूर्ति योजना के अनुसार क्रियान्वयन किया जायेगा।
- जलापूर्ति योजना क्रियान्वयन के द्वारा मौजूदा ग्राम आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन किया जायेगा।

जलापूर्ति योजना का संचालन एवं रक्खरखाव

- जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन के बाद योजना के नियमित संचालन की विभेदकारी ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की है।
- समिति द्वारा नियमित जल पिंटरफ एवं देनरेस के लिये पोप लापरेटर की नियुक्ति की जायेगी।
- ग्रामसभा में सभी परिवारों से मासिक पीस तप वी जायेगी जिसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संग्रहित किया जायेगा।

- फीस संग्रह के समय ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संबधित प्रिंसिपर को इसीदूरी जाएगी।
- संप्रहित फीस समिति के बेक खाते में जमा करायी जाएगी।


जलापूर्ति योजना की निगरानी

- जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करना आवश्यक है ताकि मजबूत अधोसंरचना बने एवं उप किये गये मापदंडों के अनुसार काम किया जाए। योजना के क्रियान्वयन की निगरानी ग्राम पंचायत तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा की जाएगी।

जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी

- ग्राम पंचायत तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा नियमित रूप से गांव के जल स्रोतों के जल की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी। जल गुणवत्ता परीक्षण का काम जल जीवन सिशन के तहत प्रशिक्षित 5 महिलाओं के समूहों द्वारा किया जाएगा।





तृतीय दिवस

तृतीय दिन संभवता को किसकी निगरानी करें और कैसे करें ?

सत्र के उद्देश्य

- जल गुणवत्ता की निगरानी एवं उपचार पर समझ बनाता।
- नल जल योजना के विभिन्न घटकों की निगरानी पर समझ विकसित करना।
- सामुदायिक योगदान / अनभागीदारी के मानदंड और संकालन पर समझ विकसित करना।

समयावधि : 2 घण्टा 30 मिनट

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर एवं सत्र से जुड़ा पीपीटी

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र को दो उप सत्रों और समयावधि में विभान्न अनुसार बांटा गया है -

उप सत्र-1 : जल गुणवत्ता की निगरानी और उपचार - 30 मिनिट

उप सत्र-2 : नल जल योजना की निगरानी और अधारान व कानूनकल शुल्क की वसूली - 1 घण्टा 45 मिनिट

उप सत्र-1 : जल गुणवत्ता की निगरानी और उपचार

सत्र संचालन प्रक्रिया

प्रतिभागियों से एक—एक कर निम्न प्रश्न पूछें -

- आप पानी का क्या मतलब है या हम क्या कहेंगे कि हमारा पानी साफ है?
- पानी में किस किस प्रकार की गंदगी हो सकती है?

प्रतिभागियों द्वारा दिये गये जवाबों को अलग-अलग सवाल के अनुसार अलग-अलग लिखें। महत्वपूर्ण जवाबों को दृष्टिरेखा-

- पीपीटी (तीसरा दिन सत्र-2 किसकी निगरानी करें और कैसे करें) के माध्यम से जल गुणवत्ता के विभिन्न विषयों को साझ करें।

सत्र समेकन

हम सब जानते हैं कि जल हम सबके लिये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी ने समझा कि पानी में कई प्रकार के

रासायनिक तत्व तथा सीमा से ज्ञानादा मात्रा में हो सकते हैं साथ ही जैविक विषय भी हो सकते हैं। जल की अशुद्धि के कारण कई प्रकार की बीमारियां जैसे— डायरिया, पीलिया के साथ-साथ शरीर के कई हिस्सों में दूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिये आवश्यक है कि हम जल की अशुद्धियों की जांच करे और समझें कि यह हमारे पाने तापक है या नहीं। जो उपचार घर के स्तर पर हो सकते हैं उन्हें आवश्यक रूप से किए जाना चाहिये; जहाँ जल प्रदूषक की लिंगित गम्भीर हो वहाँ पीपलही विभूति से सम्पर्क कर जल बोधन एवं तापकाया जाना चाहिये ताकि लोगों को पीने के लिये शुद्ध पानी मिले और वे जल जीवित बीमारियों के प्रकोप से बचें रहें।

जल समेकन

इस बात पर जोर दें कि शुद्ध पानी प्राप्त करने के लिये हमें हम समस्याओं का लिये भी काम करना होता जो हमारे जल खोलों को दूषित करने के लिये जिम्मेदार है। किन-किन उद्देश से जल खोल प्रदूषित होते हैं इस पर चर्चा करें।

संटर्भ सामग्री

जल गुणवत्ता का भौतिक व्यवहार है

अच्छे स्थान के लिये हमारे जल का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। जल संबंधी अशुद्धियों से हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं और कई बार यह मृत्यु का कारण भी बनती है।


जल अशुद्धि के कारण

जैविक गंदगी	<ul style="list-style-type: none"> पीने के पानी में बैक्टीरिया, वायरस, ग्रोटोज़ोआ या इनके विशाक्त पदार्थ मिलते होते हैं, ऐसे पानी के उपयोग घर पूरी तरह से रोक है।
रासायनिक गंदगी	<ul style="list-style-type: none"> जल में कई रसायन मिलते हैं— क्लोरोफ्लू, आयरन, आसीनिक, नाइट्रोट, कठोरता, क्षार, सल्फेट आदि ऐसे कई रसायन मिलते होते हैं जिनकी मात्रा तथा सीमा से अलग होने पर ऐसा जल काफी नुकसान देह होता है।
भौतिक	<ul style="list-style-type: none"> पानी में मिट्टी, रेत एवं अन्य शारीक काण मिलते होते हैं।

हमारे पानी में कौन-कौन सी अशुद्धियां मिलती हैं यह जानना जरूरी है। अशुद्धियों का यथा लाने के लिये जल की जांच आवश्यक है।

जल अध्युद्धि का हमारे शरीर में प्रभाव

राजायनिक तत्वों के अधिक उपयोग से सामग्री तंत्र में भूमि लाने चला



पानी की दूषणीयता का नहीं, वह जलों के द्वारा प्रतिवाद की जड़ी भी जीव विवरणी

जल की प्राप्ति

उत्तमान में तीन माध्यमों से जल परीक्षण किया जाता है।

- परिषुद्ध लैस्टिंग किट (एफटीओ)
- जल जीव प्रणोगशाला
- देशकार सुधकर एवं स्वाद सेकर



भौतिक परीक्षण	दस्तकर सुधाकर एवं स्थान लेकर हम सभा, ग्रीष्म एवं स्थान का परीक्षण कर सकते हैं।
फोल्ड ऐसिंग किट- रासायनिक परीक्षण	पीएचईडी द्वारा यह किट ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई है। इस किट से हम अपने गांव में ही जल में रासायनिक अशुद्धियों की जांच कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यह पानी हमारे उपयोग साधक है अथवा नहीं।
फोल्ड ऐसिंग किट- जैविक परीक्षण	पीएचईडी द्वारा दी गई M-5 बाट्टा के सहाय्य से जल में जैविक अशुद्धियों की जांच की जा सकती है।
प्रयोगशाला	पीएचईडी द्वारा जिले स्तर पर या इससे नीचे के स्तर पर लगापित जल परीक्षण प्रयोगशालाओं में भी जैविक अशुद्धियों की जांच करायी जा सकती है। प्रयोगशाला में की गई जांच से जल की सूख्त अनुदियों भी रुक्ख हो जाती है एवं ज्ञाना विश्वसनीय होती है।

जल गुणवत्ता परीक्षण के लिये कौन से सामग्री

- ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार मानसून पूर्व एवं मानसून के बाद जल परीक्षण करना अनिवार्य है।
- जिले द्वारा सभी 13 भागों के लिए प्रति माह 250 जल ऊर्ती का परीक्षण किया जाता है। सकारात्मक नमूने राज्य को भेजे जाएंगे।
- राज्य स्तर से सभी जिलों में 5% जल ऊर्ती का परीक्षण किया जाएगा। रासायनिक अशुद्धियों के लिए वर्ष में एक बार और जैविक अशुद्धियों के लिए वर्ष में दो बार (मानसून पूर्व एवं बाद में) परीक्षण जरूरी है।



जल परीक्षण रिपोर्ट हिस्से साझा करें

ग्रामसभा से - परीक्षणकर्ता समूह द्वारा आम के जल खोलों की परीक्षण रिपोर्ट को ग्रामसभा से साझा किया जायेगा। ताकि सभी ग्रामवासियों को जल खोल में जल गुणवत्ता को स्पष्टीकरण की जानकारी हो सके।

ग्राम पंचायत से - परीक्षण रिपोर्ट याम पंचायत द्वारा जानी चाहिये ताकि वह रिपोर्ट पीएचईडी को भेज सके।
पीएचईडी - परीक्षण रिपोर्ट को पीएचईडी से साझा किया जाना चाहिये ताकि पीएचईडी पर इकाव बने हवे उसके द्वारा जल शोधन या उपचार के आवश्यक कदम उठाये जा सकें।

घरेलू स्तर पर जल उपचार कैसे करें

छानना - बारीक लिंग वाले माफ कपड़े से जल का छानकर उपयोग करना चाहिये। 35 एमीटी.यू से अधिक मैत्रापन वाले सतही जल खातों के लिए।

उबालना - उपयोग के पूर्व जल को कम से कम 1 निमट के लिए उबालना चाहिये।

खालीनीकरण

- 10 लीटर पानी में 500 ग्राम ब्लॉकिंग पाउडर डालकर छोल बनायें।
- 1 लीटर पानी में 2 बूढ़े खालीन खाल के हिसाब से पानी की अनुमानित मात्रा के अनुसार खालीन घोल डालकर जल खाता उपचार करें।
- गंध से छुटकारा पाने के लिए पानी को धोड़ी दें तो लिए खूला रखें।

खालीन खोल कैसे बनायें

- साथ से पहले भपने खाथों को साथून से अच्छी तरह खोए और साफ कपड़े से हाथों को पोछ लें।
- 20 लीटर पानी से भरे बर्टन में खालीन खी एक गोली डालकर उसको बंद कर दें या ढककर रख दें।
- बर्टन में गोली डालने के बाद 30 मिनट तक बंद रखने के बाद पानी फीने के लिए तैयार हो जाएगा।

जल सुरक्षा के अन्य तरीके / सावधानियाँ

- पानी रखने वाले बर्टनों को प्रतिदिन अच्छी तरह साथून से छोयें।
- उपचार किए गए पानी को जमीन से ऊपर चढ़ाते (लोट पार्क) पर ऐसे स्थान पर रखें जहाँ जीवी शृंखला पड़ती है।
- पानी को उत्ते खलती रूप पालतु जानवरों की पहुंच से दूर रखें।
- बर्टन से पानी निकालने के लिए डड़ी वाले लोटों का इस्तेमाल करें।
- डड़ी वाले लोटों को साफ जगह पर रखें और इसे साथून से नियामित धोते रहें।
- पेयजल के बर्टन को हमेशा ढककर रखें ताकि पानी में गढ़नी न जा पाए।

उप सत्र-2 : नल जल योजना की निगरानी और अंशदान व कनेक्शन शुल्क की वसूली

सत्र संचालन

यह सत्र समूह अभ्यास के माध्यम से संचालित किया जायेगा। सभी प्रतिभागियों को 4 समूह में बटे। समूहों की समूह चर्चा और प्रस्तुतिकरण के लिए निम्नानुसार विषय प्रदान करें-

समूह -1 : ट्रॉफेल से राहगिरी में पार्श्व लाइन, सम्पर्क/ओवरहेड टैक तक क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

समूह -2 : सम्पर्क/ओवरहेड टैक से गाँव के विभिन्न भौहल्तों में विछाई नहीं पाई जाती। वाल्व आदि की क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

समूह -3 : घरों में नल कनेक्शन भुखभात से लेकर गाँव के अंतिम छोर तक ट्रॉफेल के साथ जल अपूर्ति जल भण्डारण और अपार्श्व जल के प्रबंधन में क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

समूह -4 : सामुदायिक अंशदान एवं नल कनेक्शन शुल्क की वसूली।

प्रत्येक समूह दिये गये विषय पर चर्चा कर निगरानी के मुद्दे और उनका लिए जिम्मेदार एवं जागरूकता व्यक्तियों की पहचान कर अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। यदि समूहों के प्रस्तुतिकरण में विषय से संबंधित निगरानी के कोई मुद्दे कुट गये हों तो आगे दी गई विषय वार तात्त्विका का उपयोग कर प्रतिभागियों को जानकारी प्रदान करें।

समूह-1 : ट्रॉफेल से राहगिरी में पार्श्व लाइन द्वारा सम्पर्क/ओवरहेड टैक तक क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
1.	ट्रॉफेल के भासपास की साफ-सफाई	पम्प ऑपरेटर	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी
2.	जल खोत का स्थापित	वीडब्ल्यूएससी	ग्राम पंचायत
3.	राहगिरी में पार्श्व लाइन में अवैध नल कनेक्शन	पम्प ऑपरेटर, वीडब्ल्यूएससी, समुदाय	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी
4.	राहगिरी में पार्श्व लाइन में सौक्षम तथा गंदे पानी का प्रवेश	पम्प ऑपरेटर, वीडब्ल्यूएससी	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी
5.	सम्पर्क-सम्पर्क पर सम्पर्क और ओवरहेड टैक की सफाई	पम्प ऑपरेटर, वीडब्ल्यूएससी	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी

६	पम्प हाउस और अन्य उपकरण, सामग्री की निगरानी	पम्प ऑपरेटर या नियुक्त कार्यदारी	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी
७	ट्रयोवरेस और सम्पर्क में पानी की गुणवत्ता	जल परीक्षण दत्त	वीडब्ल्यूएससी

समूह-२ : सम्प केस/ओवरहेड टैक से गाँव के विभिन्न मोहल्लों में बिछायी गई पाइपलाइन/वाल्व आदि की क्या निगरानी करने की आवश्यकता है।

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
१	नह जल योजना ने ग्रामीण जाने वाली सभी सामग्री जैसे भोटर, पाइप, क्रूल आदि आईएसआई मार्क की है	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी और समुदाय	पीएनईडी एवं ठेकदार
२	सभी परों में नह कनेक्शन और जल पितरण हेतु यात्य प्रिटिंग टकों की साफ-सफाई और पानी की गुणवत्ता	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी, समुदाय और हिल्याडी	पीएनईडी एवं ठेकदार
३		ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी, समुदाय और ५ महिलाओं का जोख दल	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी और पीएनईडी
४	मोहल्ला बार नियमित जल आपूर्ति की लायवस्ता	ग्राम नगा, ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी और पम्प ऑपरेटर	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी और पम्प ऑपरेटर
५	पाइपलाइन बिछाने हेतु नवाली की उचित गहराई (३ फिट), चेम्बर का स्थान और निर्माण की गुणवत्ता	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी	ठेकदार
६	पाइपलाइन बिछाने के लिए गांवी गई रोड/सड़क की मरम्मत	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी और समुदाय	ठेकदार

समूह-३ : परों में जल कनेक्शन, शूरूआत से सेकंदर गाँव के अंतिम और तक इवाय के साथ जल आपूर्ति और परों में जल भव्यातरण और उपयोग में रखा निगरानी की आवश्यकता है-

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
१	धरों में उचित स्थान पर और गुणवत्ता पुर्ण नह कनेक्शन	वीडब्ल्यूएससी, पम्प ऑपरेटर	ठेकदार एवं पीएनईडी
२	मोहल्ला/टोला अनुसार बैक वाल	वीडब्ल्यूएससी, ग्राम पंचायत	ठेकदार एवं पीएनईडी

३	नल कनेक्शन में उपयोग की जाने वाली सामसी की गुणवत्ता	वीडब्ल्यूएससी, ग्राम पंचायत, समुदाय	ठेकेदार और पीएचईडी
४	घरों में यानी की भण्डारण व्यवस्था	हितशाही, वीडब्ल्यूएससी	वीडब्ल्यूएससी और जल गुणवत्ता परीक्षण दल
५	नल कनेक्शन में अवैध लागि से मोटर लगाना	वीडब्ल्यूएससी, पम्प ऑपरेटर, समुदाय	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी
६	यानी के उपयोग पर सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी	ग्राम पंचायत, ग्राम सभा
७	आपृत्ति और सामुदायिक सीखता गतिहासी का निर्माण	वीडब्ल्यूएससी, ग्राम पंचायत, हितशाही	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी
८	मध्ये यानी का किंचिन गाड़ने हेतु उपयोग	वीडब्ल्यूएससी, ग्राम पंचायत, हितशाही	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी

समूह-४ : जल प्रितरण व्यवस्था और सामुदायिक अद्याधान तथा जल कर की व्यवस्था में क्या निगरानी की आवश्यकता है।

क्र.	निगरानी का मुद्दा	निगरानी की जिम्मेदारी	सुधार की जिम्मेदारी
१	बसाहरी के अनुसार यात्रा लगाना	ग्राम पंचायत और वीडब्ल्यूएससी	ठेकेदार, पीएचईडी
२	जैचाई या टीले की बसाहरी में पहले नल देना	वीडब्ल्यूएससी	पम्प ऑपरेटर
३	एक वाल्व से उचित संख्या में नल कनेक्शन	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी	ठेकेदार और पीएचईडी
४	मोहत्ता वार जल आपृति समय का निश्चारण	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी	पम्प ऑपरेटर
५	सार्वजनिक रूपाने जैसे सूखा, आगनपानी, स्नास्य केन्द्र, सामुदायिक भवन आदि में नल कनेक्शन	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी	ठेकेदार, पीएचईडी
६	यानी के दूषणों को संकेन के लिए हर नल कनेक्शन पर यानी का गोटर लगाना	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी	पम्प ऑपरेटर और नक्सीवालास
७	सामुदायिक अद्याधान, सामिक जल कर एकाव करना और उसका रिकाउ रखना	ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी	वीडब्ल्यूएससी

8	रेतोफिल्टिंग के सामने में दौपीएल दौपीएल भेणी के अनुसार अशाधान वसूली	ग्राम पंचायत, बीडब्ल्यूएससी	बीडब्ल्यूएससी
9	नल जल योजना की राशि के संचारण हेतु स्वतंत्र बैंक खाता खुलवाना।	ग्राम पंचायत, बीडब्ल्यूएससी	ग्राम पंचायत

नोट: समूह प्रस्तुतिकारण के दौरान प्रस्तुतकर्ता समूह से अन्य समूह के सदस्यों को सवाल पूछने वा दोका समाधान का अवसर अवश्य दें।

सभा समीक्षन

इस बात के महत्व पर चर्चा करें कि नल जल योजना द्विना रूक्षावट के ठन्डे समय तक सुधार लाय से बाहरी रहे इसके लिये निगरानी व्यवस्था का मजबूत होना और जल कर की नियमित वसूली बेहद जरूरी है। लोग समय पर जल कर दें इसके लिये नियमित प्राप्ति की आपूर्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।



तृतीय दिवस, सत्र-3 : सहभागी तरीके से नल जल योजना का संचालन एवं स्थारखात (O&M)

सत्र के उद्देश्य

- नल जल योजना में मासिक जलकर निर्धारण प्रक्रिया को समझना।
- जलकर इफ्कठा करने हेतु नियम बनाना सीखना।
- संभाषित खुचों के भुगतान व्यवस्था को समझना।
- नल जल योजना के संचालन एवं स्थारखात में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका पर समझ बनाना।

त्रयीयात्मि : 2 घण्टा

आवश्यक सामग्री : चाई बिपर, भाकर एवं पीपीटी

सत्र-संचालन प्रक्रिया

इस सत्र की विषय वस्तु को दो उप सत्रों में बाट कर निम्नानुसार समय का निर्धारण किया गया है -

- उप सत्र-1 : ग्राम सभा में जल कर का निर्धारण - 1 घण्टा 15 मिनिट (45 मिनिट रोल प्लॉ और 30 मिनिट डीबीफिंग के लिये)
- रोल प्लॉ के बाद चाय सेका - 15 मिनिट
- उप सत्र-2 : नल जल योजना के संचालन और स्थारखात में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका - 30 मिनिट

उप सत्र-1 : ग्राम सभा में जल कर का निर्धारण

सत्र संचालन

इस सत्र का संचालन रोल प्लॉ के माध्यम से किया जायेगा। रोल प्लॉ के लिये प्रतिभागियों को भाग-भाग भूमिकाएं दी जायेंगी और उन्हें उसी के अनुसार ग्राम सभा में अवधार करना होगा।

रोल प्लॉ पर विफिंग :

रोल प्लॉ के विपरीत रोल प्लॉ करने के लिये सभी प्रतिभागियों को ऊपर अनुसार किरदार देना, जिसमें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, पंच, जल समिति सदस्य, पीएचडीडी हाईनियर, ग्राम सेवक, निवास समूह की सदस्य एवं ग्राम सभा सदस्य (पुरा, महिलाएं और पुरुष)।

रोत प्ले संचालन चिह्न: प्रतिभागियों को किरदार के अनुसार चिह्नित कर उन्हें प्रशिक्षण हॉल के बाहर ले जाकर जो किरदार उन्हें निभाना है उसकी चिट प्रदान करें और समझायें कि सभी को दिए गए किरदार की भूमिका के अनुसार आपनी बात रखना है। जो प्रसिद्धगो रोत प्ले में शामिल नहीं हैं उन्हें रोत प्ले को ध्यान से धेखने के लिये कहें। योत प्ले पूर्ण होने पर वे अपनी बाहर रखेंगे कि उन्होंने क्या देखा, क्या सिर्फ लिपि गए या सभी कि ग्राफिया पूरी हुई या नहीं, निर्णयों में सभी की भागीदारी थी या नहीं, आदि।

ग्राम सभा में निम्न एजेंडे पर चर्चा की जायेगी -

१. नल जल योजना के लिये मासिक जल कर राशी का निर्धारण करना।
 २. नल जल योजना संचालन एवं प्रबंधन के लिये अदायक नियम बनाना।
 ३. मिगरानी / संचालन व्यवस्था पर चर्चा करना।

ग्राम सभा की बैठक व्यवस्था : तोत परों के लिये सभी सदस्य, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी एक गोल चरे में बैठते हैं। जिसमें ग्राम सभा अध्यक्ष, सचिव, पीएसडी इत्यनियर एवं ग्राम सेवक समन्वय बैठते हैं और ग्राम सभा सदस्य उनके सामने असेंजी के पूँ अक्षर के अक्षार में बैठते हैं।

શ્રીમતી પૂર્ણા માનુષી પરીક્ષા

जारीरंग— जारीरंग योग्यता के भवित्व का नहीं यह योग्यता में लागती जो प्रतिक्रिया भवित्वाद्वारी या होने के बावजूद नियम है। योग्यता संभव है जिस योग्यता लियोग्यताद्वारी लियेगी तभी है। इसका इस अनुभव का उल्लेख यही है कि यही व्यक्ति जो योग्यता लिये गये थे वही योग्यता लिये गये थे। योग्यता योग्यता लियोग्यता नहीं।

ग्रन्थ - यह ग्रन्थ का अधिकारी है जो ग्रन्थ के सभी विषयों का विवरण देता है औ उसके अधिकारी का नाम भी देता है।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਪ੍ਰਕਾਸ਼ - ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਖੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

प्रतिक्रिया वापर की महत्वा: प्रतिक्रिया वापर की महत्वा यह है कि उनके साथ दो अलग वार्ताएँ जो विभिन्न व्यक्ति के बाहर रखी गई हों तब वापर की प्रतिक्रिया वापर का उपयोग की गयी विधि का उपयोग है।

ਜਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਮਿਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਲ ਜਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਨਾਲ ਵੀ, ਅਥਵਾ ਕਾਰਵੀ ਵੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ

your own money - this gives you more if the gods are kind and less if they are not.

- ग्राम सभा का आयोजन** - ग्राम सभा अध्यक्ष के कहने पर पंचायत सचिव द्वारा एजेंट पदकर्ता सुनाया जायेगा।
- जल समिति द्वारा तैयार जल कर राशि का छाप्ट ग्राम सभा में प्रस्तुत करना** - जल बत एवं सबलता समिति द्वारा ग्राम सतपिपलिया की जल कर गृष्णी के निधारण का एक छाप्ट तैयार किया गया है जिसे ग्राम सभा की बैठक में चर्चा के लिये रखा जायेगा, जिस पर ग्राम सभा सदस्य चर्चा कर प्रस्ताव पास करेंगे।
- सतपिपलिया ग्राम की सामान्य जानकारी**: ग्राम सतपिपलिया (जिला - सौंहोर) जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्राम में कुल 1845 जनसंख्या है एवं 344 परिवार हैं। जिसमें पिछड़ा वर्ग 261, मुस्लिम 45, अनुसूचित जन जाति 4, अनुसूचित जाति 31, सामान्य वर्ग 3 परिवार निवास करते हैं।

खर्चे विवरण			
क्र.	खर्चे नम	आमिक खर्चे	बार्षिक खर्चे
1	प्राइवेट-मेन का सामिक बाजार खर्च	7,500/-	90,000/-
2	सामिक वित्तीय खर्च	18,000/-	2,16,000/-
3	मोटर रिपरिंस, ट्रक-फुट खर्च	5,000/-	60,000/-
4	अपने मुण्डला समर्वित खर्च	1,000/-	12,000/-
	तल जल बोरियां पर कुल सामिक/बार्षिक खर्च	31,500/-	3,78,000/-
खर्चे के अनुमान जल कर का निर्धारण			
क्र.	खोल	आमिक जल कर	बार्षिक जल कर
1	कुल सामिक खर्चे + जाति में कुल तत्त्व कलेक्शन = प्रति परिवार अनुमानित सामिक जल कर	$31500/- \times 344$ $= 91.50/-$	91.50×12 $= 1098/-$
	जल कर का निर्धारण करने समय तक जल का उपयोग रखें कि जाति में गरीब परिवारों की जल कर में छाप्ट-सिवाय दूसरे गृह गरिवारों के समय पर जल कर न हो पाने के कारण जीवन के सभानाम में घोड़ा-जी जाकरी है, इसलिये सामाना में निष्कार्ता राशि में 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि-प्रतापकर जल कर तक जलना चाहिए।	100/- प्रति परिवार	1200/- प्रति परिवार
	इमरजेंसी गार्ड के बाय में जला नीत राशि = (कुल जल - कुल खर्च)	2,500/-	30,000/-

ग्राम सभा बैठक के अपेक्षित परिणाम

- ग्राम सभा बैठक में प्रक्रियाओं का पालन किया गया – जिसमें कोरम छूटी, एडेंडा चालन, अध्यक्ष का चयन, एडेंडा बार चर्चा एवं सर्व सहमती से निर्णय लेना और लिये गये निर्णय को बैठक पूर्ण होने के बाद पढ़कर सुनाना एवं इसके उपरांत सभी उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर कराना।
- मासिक जल कर रापी के निर्धारण में सभी की सहमित होना।
- योजना संचालन के लिये आवश्यक नियम बनाना।
- नए जल योजना को मुद्रारूप चलाने के लिये निगरानी व्यवस्था निर्माण करना एवं समर्प और जिम्मेदारी देना।

रोल प्ले का समेकन

रोल प्ले पूर्ण होने पर प्रतिभागियों के साथ निम्न विदुओं पर चर्चा करें -

- क्या आप ग्राम सभा में लिए गये निर्णय से सहमत हैं ?
- क्या ग्राम सभा ने जारी एडेंडों पर निर्णय लिये थे ?
- क्या ग्राम सभा में लिये गये निर्णय अनुचित थे और क्या कोई मुद्रा निर्णय से हट गया ?
- क्या ग्राम सभा संचालन में कोई प्रक्रिया छूट गयी ?
- कौन से निर्णय आपको बहुत अच्छे लगे ?

उपरोक्त सभी विन्दुओं पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा कर रोल-योंगों का सार निकालना और प्रयास करना कि प्रतिभागी मासिक जलकर निर्धारण योजना संचालन के लिए नियम बनाना और योजना की निगरानी व्यवस्था की समझ पायी।

उप सत्र-2 : नए जल योजना के संचालन और रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका

सत्र संचालन

प्रतिभागियों से पूछें कि आपके हिसाब से नए जल योजना के संचालन एवं रखरखाव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की क्या भूमिका होनी चाहिये। प्रतिभागियों के जवाबों को नोट करते जायें और उन्हें इस सर्वप्रथम ज्यादा से ज्यादा सोचने और प्रतिक्रियाएं देने के लिये प्रेरित करें। इसके उपरांत सर सहबी फीवीटी (तीसरा दिन, सत्र-3, नए जल योजना में ग्राम सभा और पंचायत की सहभागिता) का उपयोग जल योजना और ग्राम पंचायत की भूमिका से प्रतिभागियों को आकर्ष करायें।

‘नल जल योजना में ग्राम सभा एवं पंचायत की भूमिका

क्र.	जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम सभा एवं पंचायत की प्रमुख भूमिकाएं
1	ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति निर्माण।
2	ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का बैंक खाता सुलक्षण।
3	ग्राम कार्य योजना/ वीएपी निर्माण।
4	ग्राम के ग्रेडबला सांतों की नियमित जल गृष्णकसा जीवि कारना एवं आवश्यक कार्यकाली करना।
5	पीएचडी द्वारा निर्मित डीपीआर लो वीएपी के साथ संरीकृत करना।
6	जल सुरक्षा योजना (WSJ) का निर्माण।
7	जनभागीदारी राशि/कर्नेवल शूल्क हक्कठा करना।
8	नल अल योजना निर्माण के द्वारा मॉनीटरिंग/निपासानी करना एवं आवश्यकता अनुसार जिला जल स्वच्छता प्रबंधन समिति/ पीएचडी को फौटोटेक देना।
9	निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद नल योजना का हैडओफर लेना।
10	नल योजना संचालन के लिये नियमावली बनाना।
11	रस्ता-रखात (O&M) कार्य करना, नियमित जल कर होना एवं रिपोर्ट/मेट्रिक्स कार्य कराना।
12	नल योजना का कार्यक्रम सामाजिक अकेशवाल कराना एवं समस्या निवारण की अवलोकना बनाना।

- ❖ ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का निर्माण : जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम सभा के सम्प्रदा से पंचायत के अंतर्गत सभी ग्रामों में अपनी-अपनी ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का निर्माण करना है। (जिस ग्राम कि जनसंख्या 250 से कम होगी उस ग्राम में पास के ग्राम के साथ संयुक्त समिति कराई जायेगी।)

- ❖ ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का बैंक द्वारा खुलाना ; याम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का किसी स्थीकृत बैंक में समिति के अध्याइ एवं सचिव के नाम से संमूल द्वारा द्वारा जापेगा, उक्त लाइ से समिति के सारे कार्यों के लिये भुगतान होगा।
- ❖ ग्राम कार्य योजना (VAP) निर्माण : जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल जल योजना के निमील कार्य के पहले ग्राम कार्य योजना का निर्माण किया जायेगा, उक्त योजना में टेकी का स्थान, बोर, पाइप लहूत, नल कनेक्शन सम्बन्ध आदि कि जानकारी सहभागी नियोजन के माध्यम से एकत्र की जायेगी एवं ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद जिला जल एवं स्वच्छता प्रबंधन समिति/पीएचईटी को भेजा जायेगा।
- ❖ ग्राम के पैषजल स्रोतों की नियमित जल गुणवत्ता जीव कराना एवं आवश्यक कार्यवाही करना : जल गुणवत्ता जीव कराने के लिये उक्त ग्राम की 5 महिलाओं का चयन कर पीएचईटी के द्वारा प्रशिक्षण एवं कॉल्ड टेस्टिंग किट (CTK) दी जायेगी। प्रशिक्षित महिलाओं का माध्यम से वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम के कम से कम 5 सामुदायिक जल स्रोतों की जीव की जायेगी। जीव के परिणाम पीएचईटी एवं ग्राम सभा को दियत कार्यवाही हेतु भेजे जायेंगे।
- ❖ पीएचईटी द्वारा निर्मित ढीपीआर को ढीपी के साथ स्थीकृत कराना : ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति एवं पीएचईटी के माध्यम से ग्राम कार्य योजना और ढीपीआर तेपार की जायेगी, जिसे ग्राम सभा को अनुमोदन के बाद जिला जल एवं स्वच्छता प्रबंधन समिति/पीएचईटी को अमान्य कार्यवाही के लिये दियित किया जायेगा।
- ❖ जल सुरक्षा योजना (WSP) का निर्माण : जल जीवन मिशन अंतर्गत लियोनों नल जल पीलनारे भूजल-आधारित बनाई जा रही है, इसलिए भूजल का सुरक्षा बढ़ाने के लिये जल सुरक्षा योजना बनाकर कार्य करना आवश्यक हो गया है। जल सुरक्षा योजना में प्रकाशित कार्यों का ग्राम पंचायत में चलने वाली योजनाओं के साथ कन्वर्जन किया जायेगा।
- ❖ जनभागीदारी राशी/कनेक्शन शुल्क दृक्काठा करना : DRR फाइनल होने के बाद नल जल योजना की लागत राशी रपह हो जायेगी जिसके अधार पर जनभागीदारी राशी या कनेक्शन राशी समिति द्वारा दृक्काठा तो या सकती है।
- ❖ नल जल योजना निर्माण के द्वारा नॉनोटरिंग/निगरानी करना एवं आवश्यकता अनुसार जिला जल एवं स्वच्छता प्रबंधन समिति/पीएचईटी को फीडबैक देना ; ग्राम में नल जल योजना निर्माण के द्वारा नॉनोटरिंग एवं स्वच्छता तदर्थ समिति एवं पंचायत कि यह नियमोंदारी होगी कि इह नियमों द्वारा ही गुणवत्ता की निगरानी नियमित रूप से करते रहे एवं किसी प्रकार वी कमी लोने पर या सुधार की आवश्यकता होने पर जिला जल एवं स्वच्छता प्रबंधन समिति/पीएचईटी के साथ साझा करे या फीडबैक दें।

- ❖ नल जल योजना के निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद हैंड ओवर लेना : प्रद्यापत द्वारा नल जल योजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद पीएचईडी/लेकेडार से हैंड ओवर लिया जाएगा, हैंड ओवर लेने से पूर्व सभी निर्माण कार्य कि गुणवत्ता एवं पूर्णता स्थापित का अकालतन कर हैंड ओवर लेना चाहिए।
- ❖ नल जल योजना संचालन के लिये नियमावली बनाना : नल जल योजना के सुधारने क्रियावालन हेतु ग्राम जल एवं रुद्धता समिति द्वारा नियमावली बनाना और ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद उसे लागू करना।
- ❖ रख-रखाव (O&M) कार्य करना, नियमित जल कर लेना एवं रिपेयर/मेटेनेस कार्य करनाना : योजना संचालन एवं प्रबंधन में रख-रखाव (O&M) कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, समिति द्वारा योजना के संचालन हेतु नियमित रूप से मासिक जलकर लेना चाहिए एवं किसी भी प्रकार कि टूट-फूट एवं मैनेजमेंट के कार्यों को समय पर पूर्ण करना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का योजना पर भरोसा बना रहे।
- ❖ नल जल योजना का सार्विक सामाजिक अंकेश्वर करना एवं समस्या निवारण व्यवस्था : नल जल योजना का प्रति वर्ष काम से कम एक बार सामाजिक अंकेश्वर कराना चाहिये, जो लोग इस योजना में सहभागी हैं उन्हें योजना के आप-आप का हिसाब मिलना चाहिए, साथ ही समस्या निवारण हेतु समिति द्वारा एव्यायाम या सौपाल एवं समस्या रजिस्टर/पेटी या कोई भौतिक नंबर जिस पर ग्राम का कोई भी व्यक्ति नल जल योजना सम्बंधित समस्या रजिस्टर कर सके एवं एक समय सीमा में उक्त समस्या का निपाकरण होना चाहिए।



तृतीय दिन स, सत्र-4 : सहभागी प्रशिक्षण, वयस्कों के सीखने के सिद्धांत और प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाना

सत्र के उद्देश्य

- सहभागी प्रशिक्षण क्या है। और सहभागी प्रशिक्षण की विधियों पर समझ बनाना।
- वयस्कों के सीखने सिद्धांत - वयस्क कल्प और कैसे सीखते हैं अध्यात् करना।
- प्रशिक्षण की रूपरेखा केवल बनाये हुए पर समझ बनाना।

समयावधि : 2 घण्टा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर पेन

सत्र संचालन प्रक्रिया

प्रतिभागियों से एक-एक कर मिस्ट्री प्रश्न पूछें -

- सहभागी प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं?
- किसी भी प्रशिक्षण को सहभागी बनाने के लिये क्या तरीके अपनाये जा सकते हैं?
- क्या बच्चों और बढ़ों के सीखने की प्रक्रिया में कुछ अन्तर है?

प्रतिभागियों के जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करते जाएं, और उनीहीं जवाबों का दोहराव करें। अब नीचे दी गई जनकारी बोलियने के साथ साझा करें।

सहभागी प्रशिक्षण

- सहभागी प्रशिक्षण अनुभव आधारित प्रक्रिया है।
- यह दो तरफा प्रक्रिया है।
- यह ज्ञान से अधिक व्यवहार परिवर्तन पर केन्द्रित है।

विकास जनर्म में जब भी प्रशिक्षण की जायशक्ति महसूस होती है तो मुहा सिफ़े ज्ञान नहीं होता। व्यक्ति का इष्टिकांग, आज्ञाविद्याम्, सामाजिक अवलोकन बहुत महात्म्यपूर्ण भूमिका निभाता है। अप्ति सहभागी प्रशिक्षण जिम्मे पिछड़ वर्ग की विकास में सहभागिता केंद्र में होती है, प्रशिक्षक एक सहजकर्ता की भूमिका निभाता है जिम्मे वह सीख और सीख की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का लिये एक आवश्यक और सुरक्षित माहील का निभाग करता है।

अक्सर हम ऐसा मानते हैं कि बहुत एक सहभागी वाहाने वाली पद्धतिया जैसे रोट पर, लोट समूह में वहाँ इलादि करा रहे ने प्रशिक्षण सहभागी हो जाता है। वास्तव में यह पद्धतिया नहीं जोपनु प्राप्तियों के सही इस्तेमाल और वापात्तरण के सही निमंत्रि जैसे कठौड़ भी प्रियतम्, सहभागी प्रशिक्षण का दृज्जियाता है।



परम्परागत प्रशिक्षण व सहभागी प्रशिक्षण में अंतर

आमतौर पर होने वाले प्रशिक्षण	सहभागी प्रशिक्षण
<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण केन्द्रित नियत्रण प्रशिक्षण के शाख में मुख्य फोकस ज्ञानधृति व तकनीकी ज्ञानकारी देने पर फोकस परकार्मना सुझारने पर दक्षता व ज्ञानकारी आधारित पद्धतियों का उपयोग पूर्ण नियांत्रित पाठ्यार्थ पर जोर 	<ul style="list-style-type: none"> सहभागी केन्द्रित सीखने वाले नियंत्रण करते हैं सीखना ज्ञानकारीज्ञानसङ्करण व दक्षता के संबंध पर ज्ञानधृत में बदलाव पर केन्द्रित अनुभव आधारित सीखने की पद्धतियों का उपयोग प्रीटो के सीखने के मिट्टीतों व सीखने के माहोल बनाने पर जोर

प्रीट कब और कैसे सीखते हैं ?

सहभागी प्रशिक्षण के सन्दर्भ में गह-जाधार मानकर चलना जाहियों की प्रीट रोल सकते हैं वह बदल सकते हैं और उनका विकास संभव है। यह सत्ता है की यह कठिन है ज्ञानकर पर्याप्त हम इसकी तुलना बच्चों से करें। यह समझना बहुत चर्की है कि प्रीटों का पास उम्र के शाख दर्जे किया बहुत अनुभव है, अपना एक्टिविटी है और ज्ञान खो देखने की नज़र है। अपरिवृत वह सभी सीखेंगे जब उनके अनुभव, उनके इंटेक्षन का आदर किया जाए और सीखने की प्रक्रिया में उनकी सम्मान दिया जाए।

इसके अतिरिक्त यह भी अलाप्त है कि सीख का केंद्र विद्यु उनकी आवश्यकताओं और ज्ञान से जुड़ा हो।

प्रौढ़ के सीखने के सिद्धांत

- प्रौढ़ों के सीखने के लिए जरुरी है एक सुरक्षित एवं समझदार सहायक व चुनौतीपूर्वी माहौल का निर्माण।
- प्रौढ़ों सीख के चक्र में भी जाते हैं जब वह उनकी समस्याओं उनके सफलों के आधार पर सीखने के लिये प्रोत्साहित हो। अधिकातर वह आज और अभी शिखने वाले परिवारों पर सीख को केन्द्रित कर सकते हैं।
- प्रौढ़ों के अपने और समाज के विभिन्न हकीकों के बारे में कुछ सीख होती है जो जिस उनके पूर्व के अनुभवों के आधार पर बनी होती है। इस सीख और अनुभव को मानवता देना बहुत आवश्यक है। इनको नकारन से कभी भी नयी सीख नहीं बनायी जा सकती। अनुभवों का नये विश्वासण से अच्छाई नये हितों का निर्माण अवश्य कर सकता है।
- दृष्टि आधारित प्रशिक्षण अधिक सहभागी परिस्थितियों का निर्माण करता है। ऐसे में प्रौढ़ों को नयी सीख पर अभ्यास करना बहुत आवश्यक है।
- पीड़ितवक्त - अभ्यास की प्रक्रिया में एक साहपाठी-पीड़ितवेक्त का माहौल बनाना कहुत आवश्यक होता है। पीड़ितवेक्त के माध्यम से सीख में सुधार लाया जाता है।
- अभ्यास में सफल होने पर प्रौढ़ प्रोलसाहित होते हैं और अधिक सीखना चाहते हैं।
- प्रौढ़ों के सीखने के अलग-अलग तरीके होते हैं इसलिये कोई एक पद्धति व तकनीक सभी के लिये बराबरी से लाभकारी नहीं होती। इस प्रकार बहुत सारी सीखने की पद्धतियों का इसोमाल करना जरुरी हो जाता है।
- सिखाने की प्रक्रिया में बहुत गहरे भावनाओं का उद्भव होता है। इन भावनाओं की उत्पत्ति से समझौता व विफाना बहुत आवश्यक होता है। अपना प्रौढ़ इन भावनाओं में उतार जाते हैं और उनका सीखना प्रभावित होता है।

डी-डीफिंग तथा भावेपीकरण

मुख्यतः अनुभव आधारित प्रशिक्षण पद्धतियों के ऊपरांत डी-डीफिंग बहुत आवश्यक होती है।

डी-डीफिंग चक्र के मुख्य चरक्त हैं -

- अनुभव करना।
- अनुभव के आधार पर अभ्यास करना।
- किये गये अभ्यास को सभी प्रतिभागियों के माध्य बोलना एवं उस पर प्रतिक्रिया लेना।
- अभ्यास का विश्वासण करना अर्थात् ऐसे प्रश्न उठाना क्या ऐसा होता है? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तथा ऐसा क्यों होता है? इत्यादि।
- अनुभवों और अभ्यास के विश्वासण के आधार पर एक दृश्यावधि सीख और विद्वानी अवधिकरण।
- सीख के आधार पर नये प्रश्नों करना और पिछर से अनुभव कर उस चक्र में जाना।



साहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका

प्रशिक्षण की प्रभावी बनाने के लिए अर्थात् प्रशिक्षण के अधार पर ज्ञान व परिवर्तित व्यवहार का निर्माण के लिए, साहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। वह सीखने वालों की क्षमता खासतीर से विस्तृत व्यापक क्षमता और नयी सीख के लिए तेजावारी बनाने की एक चुनौतीपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। वह एक समय में अनेक भूमिकाओं को निभाता है और प्रशिक्षणार्थियों को हमेशा सीख के लिए उत्सुर करता है। प्रशिक्षण की मुख्य जबाबदारियां निम्न हैं-

1. प्रशिक्षण नियोजक व डिजिटलर की भूमिका
2. प्रशिक्षण प्रबोधक की भूमिका
3. सहजकर्ता की भूमिका
4. शिक्षक व नयी ज्ञानकारी प्रदर्शित करने की भूमिका
5. मिशन की भूमिका
6. स्वयं की एक प्रशिक्षार्थी के रूप में देखने की भूमिका

प्रशिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है और प्रशिक्षक इस जटिल प्रक्रिया को संचालित करता है। इसके लिये वह विभिन्नों का विश्लेषण करता है जोकि ज्ञान को प्राप्ति होने के सहायरण का निर्माण करता है। प्रशिक्षकर्थियों की क्षमताओं को विकसित करता है यह क्षमताएं उसकी ज्ञान, ज्ञानसंकरता और दक्षता के अधार पर बाती जा सकती हैं। प्रशिक्षक की भूमिका प्रशिक्षण के पहले से ही शुरू हो जाती है व प्रशिक्षण समाप्ति के बाद तक चलती है।

प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण आयोजित करने के अभ्यास हेतु गृह कार्य

प्रशिक्षण के दोष और अलिम दिन प्रतिभागियों को प्रशिक्षक के रूप में सब आयोजित करने का अभ्यास कराया जाएगा। इसके लिये तीसरे दिन के अलिम सब के बाद प्रतिभागियों को 4 समूहों में बटे और प्रत्येक समूह को निम्नानुसार विषय प्रदान करें -

समूह - 1: गोपी निर्माण पर ग्राम धरापत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना।


समूह 2: ग्राम पंच एवं स्थानीय समिति सदस्यों को उनकी भुमिका और विमोदारियों पर प्रशिक्षण देना।

समूह 3: स्वतं सुरक्षा योजना पर धरापत प्रतिनिधियों कार्यकर्ताओं जो प्रशिक्षण देना।

समूह 4: नत जल योजना के संचालन एवं रखरखाव पर यह अधिकारी/स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देना।

प्रत्येक समूह इसे गृह कार्य के रूप में स्वीकार्य करेगा और ट्रिपे गए विषयों पर 45-45 मिनिट के प्रशिक्षण सब की डिजायन एवं विषय वस्तु तैयार करेगा। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में प्रशिक्षक समूहों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे।





चतुर्थ दिवस

चतुर्थ दिवस, सत्र-2 : प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का अभ्यास

सत्र के उद्देश्य

- प्रशिक्षण कौशल विकसित करना।
- प्रशिक्षण सत्रों को प्रभावी बनाने के तरीकों पर समझ बनाना।

समयावधि : 2 घन्टे

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर, अन्य सामग्री जो प्रतिभागी बहुती समझे।

सत्र संचालन प्रक्रिया

इस सत्र का संचालन एक दिन पहले बनाये गये समूह-1 और समूह-2 द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक समूह को प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिये 45 मिनट का समय और 15 मिनट पीडब्ल्यूके के लिये सुरक्षित रखे गये हैं। अर्थात् एक समूह को कुल 1 घन्टे का समय दिया जायेगा।

प्रायोक समूह प्रशिक्षण सत्र के आयोजन में निम्न बातों का ध्यान रखेगा –

- समयावधि में सत्र को पूरा करना।
- समूह के सभी प्रतिभागियों को अवसर देना।
- प्रशिक्षण सत्रों का रोचक बनाने के लिये गतिविधिया शामिल करना।
- अन्य समूहों के प्रतिभागियों के द्वारा दिये गए पीडब्ल्यूकों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना।
- प्रशिक्षक के रूप में इस बात का ध्यान रखना कि सभी प्रतिभागी उनकी बात सुन और समूह की अच्छी बातें, प्राप्तियों की सराहन करेंगे तथा जो कमी हो उसे दूर करने के लिये आवश्यक मुद्दाएँ देंगे।

चतुर्थ दिवस, सत्र-3 : प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का अभ्यास

इस सत्र के संचालन का तरीका उपरोक्त सत्र के समान रहेगी। इसमें समूह-3 और समूह-4 के प्रतिभागी प्रशिक्षक के रूप में सत्र का आयोजन करेंगे। सत्र की अन्य प्रक्रिया उपरोक्त सत्र के समान रहेगी।

चतुर्थ दिवस, सत्र-4 : प्रशिक्षक की भूमिका एवं उक्तावलम्बन प्रशिक्षण सत्रों के सहज बनाने के सिद्धांत

सत्र के उद्देश्य

- सहभागी प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की भूमिका और कौशल से अवगत कराना।
- प्रशिक्षण को सहज बनाने के तरीकों से अवगत कराना।

समयावधि : 1 घण्टा

आवश्यक सामग्री : चार्ट पेपर, मार्कर पेन

सत्र संचालन प्रक्रिया

प्रतिभागियों से एक-एक कर निम्न प्रश्न पूछें -

- एक अच्छे प्रशिक्षक के क्या गुण होते हैं?
- किसी भी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक की क्या भूमिका होती है?

प्रतिभागियों के जवाबों को चार्ट पेपर पर नोट करते रहें, और सही जवाबों का दोषुराख करें। अब नीचे दी गई जानकारी को बिन्दु वार प्रतिभागियों के साथ जाओ जाओ करें।

प्रशिक्षक की भूमिका

प्रशिक्षक की भूमिकाओं की तीन भागों में बाटा जा सकता है-

1. प्रशिक्षण से पहले : प्रशिक्षण प्रबंधन संबंधी
2. प्रशिक्षण के दौरान : सहजकर्ता, प्रशिक्षक, मिड आदि
3. प्रशिक्षण के बाद : प्रबंधन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग इत्यादि

प्रशिक्षक की भूमिका

प्रशिक्षण डिजाइनर और नियोजक	प्रबंधक
<ul style="list-style-type: none"> • सीख के बिन्दुओं को प्रणित करना और उसके आधार पर प्रशिक्षण के उद्देश्य मिलारेत करना। • प्रशिक्षण हेतु योजना की रणनीति बनाना। • प्रशिक्षणर की विषय वस्तु तैयार करना तथा उसको एक नियोजित तरीके से क्रमबद्ध करना और उपयुक्त विधि का उपयोग करना। 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रशिक्षण की डिमेंडोरियो का बढ़वारा • वित्तीय प्रबंधन • दिवस और सप्ताह का लघन इसके साथ जैसे डिसी प्रकार के भौतिक समाधनों की तैयारी। • व्यवस्थित रूप से सुविधाज्ञों का जड़तावन करना। • सभी सुविधाज्ञों का योग्यता संबंध स्थापित करना।

<ul style="list-style-type: none"> भौतिकतानुसार संदर्भ व्यक्ति का चयन करना। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षाधियों से प्रशिक्षण के बाद भी संपर्क संवर्धित रखना तथा उनको रिपोर्ट आदि भेजना। जापात सिद्धि जैसे बीमारी दुर्घटना से निपटना।
<p style="text-align: center;">सहजकर्ता</p> <ul style="list-style-type: none"> समूह प्रक्रियाओं को अगे बढ़ाना व उन पर नियंत्रण रखना। समूह व समूह के प्रत्येक व्यक्ति को प्रीत्साहित और प्रेरित करना। सीखने के वातावरण का निर्माण करना। समूह में व्यक्तियों को अंतर्भुक्त करना व कोन्फिडेंट करना। प्रशिक्षाधियों को हर प्रकार से प्रीत्साहित करना जिससे वे अपनी क्षमताओं के अनुसार काम कर सकें। 	<p style="text-align: center;">चिक्षक</p> <ul style="list-style-type: none"> नक्षे जानकारीयां तथा तथ्यों को समझना। जानकारी व अनुभवों के आधार पर नया अध्ययन बनाना। सीख की प्रक्रिया को ढाँचाबद्द तरीकों से बोधना। शिखित पद्धतिया जैसे रोल प्लै चर्चा, सिमुलेशन, इत्यादि को सम्पादित करना। प्रशिक्षण के नये हस्ताधनों जैसे विडियो कैमरा, टेप, फोटो व कार्ड इत्यादि को सही तरीके से इस्तेमाल करना।
<p style="text-align: center;">सहभागी</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रशिक्षाधियों से व्यापार संपर्क में रहना। उनके विचारों कठनाईयों खुशी एवं निराशाओं में उनकी मदद करना। अपने अनुभवों को उनमें बाटना। मिप्रतापूर्ण व्यवहार से वातावरण को सहज बनाना। 	<p style="text-align: center;">प्रशिक्षाधी</p> <ul style="list-style-type: none"> समूह के अनुभव के आधार पर संवर्क के सीखन की तैयारी रखना। दूसरों के दृष्टिकोण और सीख दो समझना। दूसरों के अनुभव से सीखना। समूह के द्वारा बनाए गये सीखने के ढाँचों को यहां करना।

प्रशिक्षकों में कौशल

1. प्रशिक्षकों में ट्रिप्ल AAA गुण होने चाहिए :

- A - अग्राज (अच्छी अग्राज के साथ स्पष्ट और प्रभावी संचार)
- A - अंदाज (अच्छी प्रस्तुतिकारण योगी और शारीरिक हात-भात/बोडी लैंगेज)
- A - आगाज (साथ की बातिया और प्रभावी शुरूआत)

2. किसी भी विषय पर प्रशिक्षण देने से पहले प्रशिक्षकों के पास तीन बुनियादी क्षमताएं होनी चाहिए - केवीसी (KVC)

“K - (जिस विषय पर प्रशिक्षण देना है उसका ज्ञान)

“V - (मूल्य)

- नीतिक मूल्य, व्यक्ति का व्यवहार उसके मूल्यों को परिभाषित करता है।
- ईमानदार

- संकारात्मक दृष्टिकोण
- अनुशासित और कानूनी (फॉकस)
- प्रभावी समय प्रबंधक
- नियमबद्ध
- आपत्तियों/प्रतिक्रियाओं का समाधान करना चान्दा हो
- प्रभावी संचार, मौजूदा और लिंगित
- मजबूत इरादा
- बदलने/अपेक्षाएँ करने की इच्छा शक्ति
- कालीउम्प में प्रभावी
- प्रतिक्रियाओं और डिलिवरेबल्स का सम्मान

क) C - (सचार कीशक - सचार सभी किसी भी प्रशिक्षण का बुनियादी मूल्य है। इसमें बोली जाने वाली, लिखकर बतायी जाने वाली, सक्रिय रूप से सुनने और समझने की सचार कीशक सामिल है। सक्रिय रूप से सुनने का भत्तच उस व्यक्ति पर ध्यान देना, जो आपसे ज्ञान कर रहा है।)

- अपनी सचार शीर्षी या प्रतिभागियों के अनुकूल बनाना।
- मित्रता/दोस्ताना
- आमविचुम्ब
- फीडबैक देना और प्राप्त करना।
- सचार की मात्रा और स्पष्टता
- सहानुभूति
- आदर/सम्मान

फैसीसी - प्रशिक्षकों में सहुलित अनुपात में होना चाहिए। यदि प्रशिक्षक के पास K, V, C में से कोई भी अधिक या कम है तो वह प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण देने में सक्षम नहीं होगा।

फैसीलिटेशन या सहजीकरण क्या है ?

सहभागी प्रशिक्षण में प्रशिक्षक का ज्ञान/कोशल को प्रतिभागियों के ऊपर लोपता नहीं है बल्कि उनके अनुभवसिद्ध ज्ञान की मान्यता देते हुए उन्हें सीखने की प्रक्रिया से जोड़ता है और उनके अनुभवों से नये ज्ञान का सुरक्षन करता है। इस प्रक्रिया में प्रशिक्षक की भूमिका मात्र फैसीलिटेटर (सहजकरण) की होती है। यदि हम फैसीलिटेशन को सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करें तो - वह कार्य जिसमें बगीर किसी जाति के कार्य की आसान बनाना है तो उसको फैसीलिटेशन कहताता है।

फैसीलिटेशन दो स्तरों पर होता है :

- व्यक्ति के स्तर पर
- समूह के स्तर पर

फैसीलिटेशन हेतु ध्यान में रखने वाली बातें :

फैसीलिटेशन के लिये यह आवश्यक है कि उसे समूह की प्रक्रियाओं तथा प्रतिभागियों की परकारिमेन्स में ज़रूरी बाधा-अंडिकिटिनाईयों की जानकारी हो। इसके लिये निम्नांकित प्रणाल किये जा सकते हैं-

• व्यक्ति/समूह के साथ बात-चीत करे -

- व्यक्ति/समूह के साथ बात-चीत के दौरान भयमुक्त व्याख्यापन का निर्माण करें तथा बात-चीत में दृढ़तापन हो। पद असमानता या प्रतिभागियों के बीच अन्य असमानता को बात्ता न बनाने दें।
- कठिनाईयों पर सीधे बात-चीत न करें एवं ग्राहक समक तहवे में बात-चीत करें नहीं तो व्यक्ति डिफेन्सिव (बचाव) हो जायेगा और अपनी कठिनाईयों को छुपने का प्रयास करेगा।
- फील्ड के अवलोकन/उदाहारण का संदर्भ बात-चीत के दौरान दें।
- सुनें प्रश्न पूछें।
- अपनी कठिनाईयों को बताने हेतु प्रतिभागी को प्रोत्ताहित करें।

3. इटिकोण और प्रशिक्षण के तरीके

प्रशिक्षक को प्रतिभागियों के ज्ञान स्तर, कीर्तात और इटिकोण के अनुसार प्रशिक्षण के तरीकों को अपनाना चाहिए। उदाहारण के लिये -

1. यदि प्रतिभागियों को विषय का ज्ञान ना हो या कम ज्ञान है तो व्याख्यान इटिकोण और विशिष्टों का उपयोग किया जा सकता है।
 - व्याख्यान पद्धति का उपयोग नई जानकारी एवं अवधारणाएं प्रतिभागियों को देसे समय करते हैं।
 - इस पद्धति द्वारा बहुत सारी विषय-एस्ट्रु कम समय में बतायी जा सकती है।
 - बाहुदीरिसी पर्सनल द्वारा कुछ विशिष्ट विषयों पर समझ डानाने के लिए।
2. यदि प्रतिभागियों को विषय का ज्ञान है तो समूह चर्चा इटिकोण और विशिष्टों का उपयोग किया जा सकता है।
 - जब विषय उस्तु पर सहभागियों के पूर्ण के अनुभव हो।
 - चर्चा में वे अपने अनुभव, इटिकोण, भनोवृत्ति के आधार पर नये ज्ञान का संज्ञान करते हैं।

आदर्श फेसीलिटेटर के गुण

